सत्यमेव जयते

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL MONUMENTS AUTHORITY

सर्वेक्षण भूखंड संख्या 192 के भाग में शामिल आसन्न भूमि सहित भीमेश्वर मंदिर, समालकोट-भीमावरम (अब समालकोट), ज़िला-ईस्ट गोदावरी (अब काकीनाडा), आंध्र प्रदेश के लिए धरोहर उप-विधि

Heritage Bye-Laws for Bhimesvara temple together with adjacent land comprised in part of survey plot No. 192, Samalkot-Bhimavaram (now Samalkot), District-East Godavari (now Kakinada), Andhra Pradesh

सर्वेक्षण भूखंड संख्या 192 के भाग में शामिल आसन्न भूमि सहित भीमेश्वर मंदिर, समालकोट-भीमावरम (अब समालकोट), ज़िला-ईस्ट गोदावरी (अब काकीनाडा), आंध्र प्रदेश के लिए धरोहर उप-विधि

Heritage Bye-Laws for Bhimesvara temple together with adjacent land comprised in part of survey plot No. 192, Samalkot-Bhimavaram (now Samalkot), District-East Godavari (now Kakinada), Andhra Pradesh

विषय – सूची

अध्याय - 1 प्रारंभिक		
1.1	संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ	1
1.2	परिभाषाएं	2-3
अध्याय - 2 प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (एएमएएसआर) अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की पृष्ठभूमि		
2.1	अधिनियम की पृष्ठभूमि	4
2.2	धरोहर उप-विधियों से संबंधित अधिनियम के उपबंध	4
2.3	आवेदक के अधिकार और जिम्मेदारियां	4-5
अध्याय - 3 संरक्षित संस्मारक - सर्वेक्षण भूखंड संख्या 192 के भाग में शामिल आसन्न भूमि सहित भीमेश्वर मंदिर, समालकोट-भीमावरम (अब समालकोट), ज़िला-ईस्ट गोदावरी (अब काकीनाडा), आंध्र प्रदेश का स्थान और अवस्थिति		
3.1	संरक्षित संस्मारक का स्थान और अवस्थिति	6-7
3.2	संरक्षित संस्मारक की संरक्षित सीमा	7
	3.2.1 एएसआई रिकॉर्ड के अनुसार अधिसूचना मानचित्र/योजना	8
3.3	संरक्षित संस्मारक का इतिहास	8-9
3.4	संरक्षित संस्मारक का विवरण (वास्तुशिल्प विशेषताएँ, तत्व, सामग्री, आदि)	9
3.5	वर्तमान स्थिति	9
	3.5.1 संरक्षित संस्मारक की स्थिति-स्थिति आकलन	9
	3.5.2 प्रतिदिन आने वाले लोगों की संख्या और कभी-कभी एकत्रित होने वाले लोगों की संख्या	9
अध्याय - 4 स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं में विद्यमान क्षेत्रीकरण, यदि कोई हो		
4.1	मौजूदा ज़ोनिंग	10
4.2	स्थानीय निकायों के मौजूदा दिशानिर्देश	10
अध्याय - 5 प्रथम अनुसूची एवं सर्वेक्षण योजना के अनुसार सूचना		
5.1	संरक्षित संस्मारक की सर्वेक्षण योजना	11
5.2	सर्वेक्षित आंकड़ो का विश्लेषण	11
	5.2.1 प्रतिषिद्ध क्षेत्र और विनियमित क्षेत्र का विवरण	11

	5.2.2 निर्मित क्षेत्र का विवरण	11-12
	5.2.3 हरित/खुले स्थानों का विवरण	12-13
	5.2.4 परिसंचरण के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र - सड़कें, फुटपाथ आदि	13
	5.2.5 भवनों की मौजूदा ऊंचाई	13
	5.2.6 राज्य संरक्षित संस्मारक और सूचीबद्ध धरोहर भवन	14
	5.2.7 सार्वजनिक सुविधाएं	14
	5.2.8 संरक्षित संस्मारक तक पहुंच	14
	5.2.9 अवसरंचनात्मक सेवाएं	14
	5.2.10 स्थानीय निकायों के दिशा-निर्देशों के अनुसार क्षेत्र का प्रस्तावित ज़ोनिंग	14
अध्याय - 6 संरक्षित संस्मारक की वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व		
6.1	वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व	15
6.2	संरक्षित संस्मारक की संवेदनशीलता	15-16
6.3	संरक्षित संस्मारक या क्षेत्र से दृश्यता और विनियमित क्षेत्र से दृश्यता	16
6.4	भूमि उपयोग	16
6.5	संरक्षित संस्मारक के अलावा अन्य पुरातात्विक धरोहर अवशेष	16
6.6	सांस्कृतिक परिदृश्य	16
6.7	महत्वपूर्ण प्राकृतिक परिदृश्य	16-17
6.8	खुली जगह और निर्माण का उपयोग	17
6.9	पारंपरिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ	17
6.10	संरक्षित संस्मारक और विनियमित क्षेत्रों से दिखाई देने वाला क्षितिज	17
6.11	पारंपरिक वास्तुकला	17
6.12	स्थानीय प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध विकास योजना	18
6.13	अनुमेय भवन संबंधी मापदंड	18
	6.13.1 मरम्मत और नवीनीकरण (प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में)	18
	6.13.2 पुनर्निर्माण	18
	6.13.3 नया निर्माण	19-21
6.14	आगंतुक सुविधाएं और प्रसाधन	21
अध्याय - 7 स्थल विशिष्ट सिफारिशें		
7.1	स्थल विशिष्ट सिफ़ारिशें	22
7.2	अन्य सिफ़ारिशें	22

CONTENTS		
CHAPTER - 1 **PRELIMINARY**		
1.1	Short title, Extent and Commencements	23
1.2	Definitions	24-25
CHAPTER - 2 **Background of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (AMASR) Act, 1958, as amended**		
2.1	Background of the Act	26
2.2	Provisions of the Act related to Heritage Bye-Laws	26
2.3	Rights and Responsibilities of Applicant	26-27
CHAPTER - 3 **Location and Setting of the Protected Monument - Bhimesvara temple together with adjacent land comprised in part of survey plot No. 192, Samalkot-Bhimavaram (now Samalkot), District - East Godavari (now Kakinada), Andhra Pradesh**		
3.1	Location and Setting of the Protected Monument	28-29
3.2	Protected Boundary of the Protected Monument	30
	3.2.1 Notification Map/ Plan as per ASI records	30
3.3	History of the Protected Monument	30-31
3.4	Description of the Protected Monument (architectural features, elements, materials etc.)	31
3.5	Current Status	31
	3.5.1 Condition of the Protected Monument - condition assessment	31
	3.5.2 Daily footfalls and occasional gathering numbers	31
CHAPTER - 4 **Existing Zoning, if any, in the Local Area Development Plans**		
4.1	Existing Zoning	32
4.2	Existing Guidelines of the Local Bodies	32
CHAPTER - 5 **Information as per First Schedule and Survey Plan**		
5.1	Survey Plan of the Protected Monument	33
5.2	Analysis of surveyed data	33
	5.2.1 Prohibited Area and Regulated Area details	33
	5.2.2 Description of built-up area	33-34
	5.2.3 Description of green/open spaces	34
	5.2.4 Area covered under circulation-roads, footpaths etc.	35

	5.2.5 Existing Heights of the Buildings	35
	5.2.6 State Protected Monument and listed Heritage Buildings	35
	5.2.7 Public Amenities	36
	5.2.8 Access to the Protected Monument	36
	5.2.9 Infrastructure services	36
	5.2.10 Proposed zoning of the area as per guidelines of the Local Bodies	36
CHAPTER - 6 **Architectural, Historical and Archaeological Value of the Protected Monument**		
6.1	Architectural, Historical and Archaeological Value	37
6.2	Sensitivity of the Protected Monument	37-38
6.3	Visibility from the Protected Monument or Area and visibility from the Regulated Area	38
6.4	Land-use	38
6.5	Archaeological heritage remains other than the Protected Monument	38
6.6	Cultural Landscapes	38
6.7	Significant natural landscapes	38
6.8	Usage of open space and constructions	39
6.9	Traditional, Historical and Cultural Activities	39
6.10	Skyline as visible from the Protected Monument and from the Regulated Areas	39
6.11	Traditional Architecture	39
6.12	Developmental plan, as available by the local authorities	39
6.13	Permissible Building related parameters	40
	6.13.1 Repair and Renovation (in Prohibited and Regulated Area)	40
	6.13.2 Reconstruction	40
	6.13.3 New Construction	40-43
6.14	Visitor facilities and amenities	43
CHAPTER - 7 **Site Specific Recommendations**		
7.1	Site Specific Recommendations	44
7.2	Other Recommendations	44

Annexures		
अनुलग्नक-I Annexure-I	सर्वेक्षण भूखंड संख्या 192 के भाग में शामिल आसन्न भूमि सहित भीमेश्वर मंदिर, समालकोट-भीमावरम (अब समालकोट), ज़िला - ईस्ट गोदावरी (अब काकीनाडा), आंध्र प्रदेश की सर्वेक्षण योजना Survey Plan of Bhimesvara temple together with adjacent land comprised in part of survey plot No. 192, Samalkot-Bhimavaram (now Samalkot), District - East Godavari (now Kakinada), Andhra Pradesh	45
अनुलग्नक-II Annexure-II	संरक्षित संस्मारक की अधिसूचना Notification of the Protected Monument	46-49
अनुलग्नक–III Annexure–III	अभिलिखीय मानचित्र Archival Map	50
अनुलग्नक-IV Annexure-IV	संरक्षित संस्मारक और उसके आसपास के क्षेत्रों के चित्र Images of the Protected Monument and its surrounding areas	51-59

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (धरोहर उप-विधि विनिर्माण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम, 2011 के नियम (22) के साथ पठित प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 20ङ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संरक्षित संस्मारक **"सर्वेक्षण भूखंड संख्या 192 के भाग में शामिल आसन्न भूमि सहित भीमेश्वर मंदिर, समालकोट-भीमावरम (अब समालकोट), ज़िला-ईस्ट गोदावरी (अब काकीनाडा), आंध्र प्रदेश"** के लिए निम्नलिखित धरोहर उप-विधि जिन्हें इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज (इंटैक), नई दिल्ली के परामर्श से सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार किया गया है, को राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें और कार्य प्रणाली), नियम, 2011 के नियम 18 के उप नियम 2 द्वारा यथा अपेक्षित जनता से आपत्ति या सुझाव आमंत्रित करने के लिए 28.04.2025 को प्रकाशित किया गया था।

यथा विनिर्दिष्ट दिनांक से पहले प्राप्त आपत्ति/सुझावों पर सक्षम प्राधिकारी के परामर्श से राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण द्वारा विधिवत विचार किया गया है।

इसलिए, अब प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 20ङ की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण, निम्नलिखित उप-विधि बनाता है, नामत:

"सर्वेक्षण भूखंड संख्या 192 के भाग में शामिल आसन्न भूमि सहित भीमेश्वर मंदिर, समालकोट-भीमावरम (अब समालकोट), ज़िला-ईस्ट गोदावरी (अब काकीनाडा), आंध्र प्रदेश" के लिए धरोहर उप-विधि

अध्याय - 1

प्रारंभिक

1.1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ:-

i. इस धरोहर उप-विधि को संरक्षित संस्मारक **"सर्वेक्षण भूखंड संख्या 192 के भाग में शामिल आसन्न भूमि सहित भीमेश्वर मंदिर, समालकोट-भीमावरम (अब समालकोट), ज़िला-ईस्ट गोदावरी (अब काकीनाडा), आंध्र प्रदेश"** के लिए राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण धरोहर उप-विधि, 2026 कहा जाएगा।

ii. ये संस्मारक के सम्पूर्ण प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र तक लागू होंगी।

iii. इन उप-विधियों के प्रावधान किसी भी अन्य उप-विधि में निहित असंगतता के बावजूद प्रभावी होंगे, चाहे इन उप-विधियों के प्रारंभ होने से पहले या बाद में बनाए गए हों, या किसी उप-विधि के आधार पर प्रभावी होने वाले किसी भी दस्तावेज़ में हों। इन उप-विधियों को किसी अन्य उप-विधि के अनुरूप बनाने के लिए इनमें संशोधन करना अनिवार्य नहीं होगा।

iv. ये अधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगी।

1.2 परिभाषाएं:-

1. इस धरोहर उप-विधि में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

(क) "प्राचीन संस्मारक" से कोई संरचना, रचना या संस्मारक, या कोई स्तूप या स्थान या दफ़नगाह या कोई गुफा, शैल-मूर्ति, शिला-लेख या एकाश्मक जो ऐतिहासिक, पुरातत्वीय या कलात्मक रुचि का है और जो कम से कम एक सौ वर्षों से विद्यमान है, अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत हैं -

i. किसी प्राचीन संस्मारक के अवशेष,

ii. किसी प्राचीन संस्मारक का स्थल,

iii. किसी प्राचीन संस्मारक के स्थल से लगी हुई भूमि का ऐसा भाग जो ऐसे संस्मारक को बाड़ से घेरने या आच्छादित करने या अन्यथा परिरक्षित करने के लिए अपेक्षित हो, तथा

iv. किसी प्राचीन संस्मारक तक पहुंचने और उसके सुविधाजनक निरीक्षण के साधन;

(ख) "पुरातत्वीय स्थल और अवशेष" से कोई ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसमें ऐतिहासिक या पुरातत्वीय महत्व के ऐसे भग्नावशेष या अवशेष हैं या जिनके होने का युक्तियुक्त रूप से विश्वास किया जाता है, जो कम से कम एक सौ वर्षों से विद्यमान है, और इनके अंतर्गत हैं-

i. उस क्षेत्र से लगी हुई भूमि का ऐसा भाग जो उसे बाड़ से घेरने या आच्छादित करने या अन्यथा परिरक्षित करने के लिए अपेक्षित हो, तथा

ii. उस क्षेत्र तक पहुंचने और उसके सुविधाजनक निरीक्षण के साधन;

(ग) "अधिनियम" से आशय प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, है;

(घ) "पुरातत्व अधिकारी" से भारत सरकार के पुरातत्व विभाग का कोई ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो सहायक अधीक्षण पुरातत्वविद् से निम्नतर पद (श्रेणी) का नहीं है;

(ड.) ''प्राधिकरण'' से अधिनियम की धारा 20च के अधीन गठित राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(च) "सक्षम प्राधिकारी" से केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पुरातत्व निदेशक या पुरातत्व आयुक्त की श्रेणी से नीचे न हो या समतुल्य श्रेणी का ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, सक्षम प्राधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो:

बशर्ते कि केंद्र सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, धारा 20ग, 20घ और 20ङ के प्रयोजन के लिए भिन्न भिन्न सक्षम प्राधिकारी विनिर्दिष्ट कर सकेगी;

(छ) ''निर्माण'' से किसी संरचना या भवन का कोई परिनिर्माण अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत उसमें ऊर्ध्वाकार या क्षैतिजीय कोई परिवर्धन या विस्तारण भी है, किन्तु इसके अंतर्गत किसी विद्यमान संरचना या भवन का कोई पुन:निर्माण, मरम्मत और नवीकरण या

नालियों और जलनिकास सुविधाओं तथा सार्वजनिक शौचालयों, मूत्रालयों और इसी प्रकार की सुविधाओं का निर्माण, अनुरक्षण और सफाई या जनता के लिए जलापूर्ति की व्यवस्था करने के लिए आशयित सुविधाओं का निर्माण और अनुरक्षण या जनता के लिए विद्युत की आपूर्ति और वितरण के लिए निर्माण या अनुरक्षण, विस्तारण, प्रबंध या जनता के लिये इसी प्रकार की सुविधाओं के लिए व्यवस्था शामिल नहीं हैं;

(ज) "सरकार" से आशय भारत सरकार से है;

(झ) अपने व्याकरणिक रूपों और सजातीय पदों सहित "अनुरक्षण" के अंतर्गत हैं किसी संरक्षित संस्मारक को बाड़ से घेरना, उसे आच्छादित करना, उसकी मरम्मत करना, उसका पुनरूद्धार करना और उसकी सफाई करना, और कोई ऐसा कार्य करना जो किसी संरक्षित संस्मारक के परिरक्षण या उस तक सुविधाजनक पहुंच को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक है;

(ञ) "स्वामी" के अंतर्गत हैं-

i. संयुक्त स्वामी जिसमें अपनी ओर से तथा अन्य संयुक्त स्वामियों की ओर से प्रबंध करने की शक्तियॉ निहित हैं और किसी ऐसे स्वामी के हक-उत्तराधिकारी, तथा

ii. प्रबंध करने की शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई प्रबंधक या न्यासी और ऐसे किसी प्रबंधक या न्यासी का पद में उत्तराधिकारी;

(ट) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम अभिप्रेत है:

(ठ) "प्रतिषिद्ध क्षेत्र" से धारा 20क के अधीन प्रतिषिद्ध क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट क्षेत्र या घोषित किया गया कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;

(ड) "संरक्षित क्षेत्र" से कोई ऐसा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अभिप्रेत है, जिसे इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व का होना घोषित किया गया है;

(ढ़) "संरक्षित संस्मारक" से कोई ऐसा प्राचीन संस्मारक अभिप्रेत है, जिसे इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व का होना घोषित किया गया है;

(ण) "विनियमित क्षेत्र" से धारा 20ख के अधीन विनिर्दिष्ट या घोषित किया गया कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;

(त) "पुन: निर्माण" से किसी संरचना या भवन का उसकी पूर्व विद्यमान संरचना में ऐसा कोई परिनिर्माण अभिप्रेत है, जिसकी क्षैतिजीय और ऊर्ध्वाकार सीमाएं समान हैं;

(थ) "मरम्मत और पुनरुद्धार" से किसी पूर्व विद्यमान संरचना या भवन के परिवर्तन अभिप्रेत हैं, किन्तु इसके अंतर्गत निर्माण या पुन: निर्माण नहीं होंगे।

2. इसमें प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का आशय वही अर्थ होगा जैसा अधिनियम अथवा इसके तहत बनाए गए नियमों में समनुदेशित किया गया है।

अध्याय - 2

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (एएमएएसआर) अधिनियम,1958, यथा संशोधित, की पृष्ठभूमि

2.1 अधिनियम की पृष्ठभूमि:

धरोहर उप-विधियों का उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित संस्मारकों की सभी दिशाओं में 300 मीटर के अंदर भौतिक, सामाजिक और आर्थिक दखल के बारे में मार्गदर्शन देना है। 300 मीटर के क्षेत्र को दो भागों में बॉटा गया है (i) **प्रतिषिद्ध क्षेत्र,** यह क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र अथवा संरक्षित संस्मारक की सीमा से शुरू होकर सभी दिशाओं में 100 मीटर की दूरी तक फैला है और (ii) **विनियमित क्षेत्र,** यह क्षेत्र प्रतिषिद्ध क्षेत्र की सीमा से शुरू होकर सभी दिशाओं में 200 मीटर की दूरी तक फैला है।

अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति संरक्षित क्षेत्र और प्रतिषिद्ध क्षेत्र में किसी प्रकार का निर्माण अथवा खनन का कार्य नहीं कर सकता जबकि ऐसा कोई भवन अथवा संरचना जो प्रतिषिद्ध क्षेत्र में 16 जून, 1992 से पूर्व मौजूद था अथवा जिसका निर्माण बाद में महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अनुमति से हुआ था, विनियमित क्षेत्र में किसी भवन अथवा संरचना का निर्माण, पुन:निर्माण, मरम्मत अथवा पुनरुद्धार की अनुमति सक्षम प्राधिकारी से लेना अनिवार्य है।

2.2 धरोहर उप-विधियों से संबंधित अधिनियम के उपबंध:

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 20ङ और प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (धरोहर उप-विधियों का विनिर्माण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम 2011 के नियम 22 में संरक्षित संस्मारकों के लिए उप-विधि बनाना विनिर्दिष्ट है। नियम में धरोहर उप-विधि बनाने के लिए मापदंडों का प्रावधान है। राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें तथा कार्य निष्पादन) नियम, 2011, नियम 18 में प्राधिकरण द्वारा धरोहर उप-विधियों के अनुमोदन की प्रक्रिया विनिर्दिष्ट है।

2.3 आवेदक के अधिकार और जिम्मेदारियां:

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 20ग में प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मरम्मत और पुनरुद्धार अथवा विनियमित क्षेत्र में निर्माण अथवा पुनर्निर्माण अथवा मरम्मत अथवा नवीकरण के लिए नीचे दिए गए विवरण के अनुसार आवेदन का ब्यौरा विनिर्दिष्ट है:

(क) कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे भवन अथवा संरचना का स्वामी है जो 16 जून, 1992 से पहले प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मौजूद था अथवा जिसका निर्माण इसके उपरांत महानिदेशक के अनुमोदन से हुआ था तथा जो ऐसे भवन अथवा संरचना का किसी प्रकार की मरम्मत अथवा नवीकरण का काम कराना चाहता है तो वह ऐसी मरम्मत और नवीकरण, जैसा भी स्थिति हो, को कराने के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है।

(ख) कोई व्यक्ति जो किसी विनियमित क्षेत्र में किसी भवन अथवा संरचना अथवा भूमि का स्वामी है और वह ऐसी भूमि पर ऐसे भवन अथवा संरचना अथवा का कोई निर्माण अथवा पुन:निर्माण अथवा मरम्मत अथवा नवीकरण जैसी भी स्थिति हो, करना चाहता है तो वह निर्माण अथवा पुन:निर्माण अथवा मरम्मत अथवा नवीकरण जैसी भी स्थिति हो, के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है।

(ग) सभी संबंधित सूचना प्रस्तुत करने तथा राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा की शर्तें और कार्य संचालन) नियम, 2011 के अनुपालन की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

अध्याय - 3

संरक्षित संस्मारक – सर्वेक्षण भूखंड संख्या 192 के भाग में शामिल आसन्न भूमि सहित भीमेश्वर मंदिर, समालकोट-भीमावरम (अब समालकोट), ज़िला - ईस्ट गोदावरी (अब काकीनाडा), आंध्र प्रदेश का स्थान और अवस्थिति

3.1 संरक्षित संस्मारक का स्थान और अवस्थिति:

यह संरक्षित संस्मारक रेलवे लाइन के पार समालकोट शहर के सबसे दक्षिणी हिस्से में है, जिसे आम तौर पर समरलाकोटा के नाम से जाना जाता है, में स्थित है। तटीय आंध्र क्षेत्र में स्थित समालकोट काकीनाडा जिले के 21 मंडलों में से एक है। इसकी सीमा उत्तर में पेड्डापुरम और पीठापुरम मंडलों, पूर्व में यू. कोठापल्ली और काकीनाडा ग्रामीण मंडलों, दक्षिण में पेडापुडी मंडल और पश्चिम में कोनासीमा जिले से मिलती है। काकीनाडा पोर्ट, जो इस क्षेत्र में समुद्री व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में काम करता है, समालकोट शहर से लगभग 20 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में स्थित है, जहाँ से नेशनल हाईवे-516F (एनएच-516F) के ज़रिए सीधी कनेक्टिविटी है।

आस-पास के बड़े शहरों में पेड्डापुरम (लगभग 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम), पीठापुरम (लगभग 13 किलोमीटर उत्तर पूर्व), काकीनाडा (लगभग 15 किलोमीटर दक्षिण पूर्व), रामचंद्रपुरम (लगभग 34 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम) और राजामहेंद्रवरम (लगभग 49 किलोमीटर पश्चिम) शामिल हैं।

समालकोट एनएच-16 और एनएच-216 जैसे बड़े राजमार्ग के पास है, जिससे राजामहेंद्रवरम, काकीनाडा और विशाखापत्तनम जैसे आस-पास के शहरों तक आसानी से पहुँचा जा सकता है। यह शहर रेलवे से भी अच्छी तरह जुड़ा हुआ है, क्योंकि समालकोट रेलवे स्टेशन हावड़ा-चेन्नई मेन लाइन पर एक बड़ा जंक्शन है। निकटतम एयरपोर्ट राजामहेंद्रवरम में है।

संरक्षित संस्मारक समालकोट (समरलाकोटा) रेलवे स्टेशन से लगभग 350 मीटर दक्षिण में है, जहाँ रेलवे लाइन संरक्षित संस्मारक की साफ-सुथरी प्राकृतिक जगह और शहर की घनी बस्ती के बीच एक बफर का काम करती हैं। संरक्षित संस्मारक में एक खास गांव जैसा माहौल भी है, जो खेतों, बागानों, एक श्मशान घाट, तालाबों, छोटे मंदिरों और कुछ स्थानीय घरों से घिरा हुआ है, ये सभी इसके पारंपरिक और शांत माहौल में योगदान देते हैं।

भीमेश्वर मंदिर एक मंदिर कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है जिसमें पूर्व की तरफ पत्थर से बना एक बड़ा पंचकोणीय सीढ़ीदार पानी का टैंक है; भगवान विष्णु को समर्पित एक छोटा मंदिर, जिसे मांडव्य नारायण मंदिर कहा जाता है, जो पश्चिम में लगभग 400 मीटर की दूरी पर है; मुख्य मंदिर की दीवारों के अंदर बने छोटे मंदिर; और पश्चिमी गोपुरम के बाहर एक पत्थर का खंभा है।

संरक्षित संस्मारक के भौगोलिक निर्देशांक इस प्रकार हैं:

अक्षांश: 17°2'32.26" उत्तर; **देशान्तर:** 17°2'32.26" उत्तर ।

चित्र 1: सर्वेक्षण भूखंड संख्या 192 के भाग में शामिल आसन्न भूमि सहित भीमेश्वर मंदिर, समालकोट-भीमावरम (अब समालकोट), ज़िला - ईस्ट गोदावरी (अब काकीनाडा), आंध्र प्रदेश का स्थान एवं अवस्थिति दर्शाता उपग्रह चित्र ।

3.2 संरक्षित संस्मारक की संरक्षित सीमा:

संरक्षित संस्मारक - सर्वेक्षण भूखंड संख्या 192 के भाग में शामिल आसन्न भूमि सहित भीमेश्वर मंदिर, समालकोट-भीमावरम (अब समालकोट), ज़िला - ईस्ट गोदावरी (अब काकीनाडा), आंध्र प्रदेश की संरक्षित सीमा **अनुलग्नक-I** में देखी जा सकती है।

3.2.1 एएसआई रिकॉर्ड के अनुसार अधिसूचना मानचित्र/योजना:

संरक्षित संस्मारक - सर्वेक्षण भूखंड संख्या 192 के भाग में शामिल आसन्न भूमि सहित भीमेश्वर मंदिर, समालकोट-भीमावरम (अब समालकोट), ज़िला - ईस्ट गोदावरी (अब काकीनाडा), आंध्र प्रदेश की राजपत्र अधिसूचना **अनुलग्नक-II** में देखी जा सकती है।

3.3 संरक्षित संस्मारक का इतिहास:

पहली सदी ईस्वी में बसा समालकोट या समरलाकोटा, कई शाही वंशों के राज में रहा, जिनमें पूर्वी चालुक्य, जिन्हें वेंगी चालुक्य भी कहा जाता है, सबसे मशहूर शासक थे। उनका इलाका कलिंग में महेंद्र पर्वत से लेकर नेल्लोर में मुन्नेरू नदी तक फैला हुआ था, उनके शासन, जो लगभग 624 ईस्वी से 1076 ईस्वी तक चला, ने आंध्र प्रदेश के इतिहास और संस्कृति पर बहुत प्रभाव डाला। शुरू में, इस वंश ने अपनी राजधानी पिष्टपुरा (आज का पीठापुरम) में बनाई, लेकिन बाद में इसे वेंगी और फिर राजामहेंद्रवरम में स्थानान्तरित कर दिया।

पूर्वी चालुक्य वंश, जिसमें तीस राजा थे, अपने संस्थापक कुब्ज विष्णुवर्धन के साथ शुरू हुआ और अपने आखिरी राजा विजयादित्य VII के शासन के साथ समाप्त हुआ। जाने-माने राजाओं में नरेंद्र मृगराज विजयादित्य (805–846 ईस्वी), गुणगा विजयादित्य (848–891 ईस्वी), चालुक्य भीम (892–922 ईस्वी), दानार्णव (971–973 ईस्वी), अम्माराज II (943–970 ईस्वी), और राजा राजा नरेंद्र (1019–1060 ईस्वी) शामिल थे। ये शासक कला, वास्तुकला, मूर्तिकला और साहित्य के संरक्षक थे, जिन्होंने अपने समय के सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

पीठापुरम के एक शिलालेख के अनुसार, चालुक्य भीम (कुमार राम चालुक्य) ने युद्धों में अपनी जीत के लिए आभार व्यक्त करने के लिए 9वीं सदी के आखिर में समालकोट में भीमेश्वर मंदिर बनवाया था। भीमेश्वर मंदिर की दीवारों पर खुदे एक शिलालेख में यह भी बताया गया है कि समालकोट गांव को पहले के समय में "चालुक्य भीमावरम" के नाम से भी जाना जाता था।

मंदिर में मध्य युग के 30 शिलालेख भी हैं, जो 1147 ईस्वी और 1494 ईस्वी के बीच के हैं। इनमें से कुछ शिलालेख मंदिर के ज़रूरी वास्तुकला तत्वों का निर्माण करते हैं, जैसे पूर्व में मुख मंडपम, जो 1394 ईस्वी में बना था, जबकि श्रीमुखमंडप 1422 ईस्वी में बना था।

भीमेश्वर मंदिर, जिसे कुमारराम के नाम से जाना जाता है, को पंचराम क्षेत्रों में से एक माना जाता है, जो आंध्र प्रदेश में भगवान शिव को समर्पित पांच मंदिरों का एक समूह है, जिनका बहुत अधिक धार्मिक महत्व है। पंचराम क्षेत्रों की शुरुआत से जुड़ी अलग-अलग पौराणिक कथाएं हैं। "*स्पतिका लिंग*" के अनुसार, ताड़कासुर नाम के एक राक्षस ने भगवान शिव के आत्म लिंग से वरदान मिलने के बाद देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। इसलिए, भगवान शिव ने अपने बेटे, भगवान कुमार स्वामी (भगवान कार्तिकेय) को ताड़कासुर को सज़ा देने के लिए भेजा। ताड़कासुर की हार के बाद, आत्म लिंग पाँच टुकड़ों में बँट गया और देवताओं ने उन्हें अलग-अलग जगहों पर स्थापित कर दिया। भीमेश्वर मंदिर के अलावा, दूसरे पंचराम हैं अमरावती (गुंटूर ज़िला) में अमरलिंगेश्वर मंदिर, द्रक्षरामा (कोनासीमा ज़िला) में भीमेश्वर मंदिर, पलाकोल्लू (पश्चिम गोदावरी ज़िला) में क्षीररामलिंगेश्वर और भीमावरम (पश्चिम गोदावरी ज़िला) में सोमरामा मंदिर।

श्रीनाथ महाकवि (14वीं से 15वीं सदी ईस्वी) का लिखा "भीमेश्वर पुराण" इन पंचरामों की शुरुआत के बारे में एक अलग कहानी बताता है। इसके अनुसार जब भगवान विष्णु मोहिनी रूप में समुद्र मंथन के बाद निकले अमृत को बाँट रहे थे, तब त्रिपुर के भगवान के नेतृत्व में नाराज़ राक्षसों ने अपने साथ हुए अन्याय के लिए भगवान शिव की ज़ोरदार पूजा की। अपनी नई मिली ताकत से राक्षसों ने देवताओं को बहुत तकलीफ़ दी और देवताओं ने भगवान शिव की शरण ली। भगवान शिव को देवताओं पर दया आई और उन्होंने अपने *पाशुपथ* से राक्षसों और उनके राज्य को जलाकर राख कर दिया। इस लड़ाई में त्रिपुरासुर द्वारा पूजे जाने वाले सिर्फ़ एक बड़े लिंग को नुकसान नहीं पहुँचाया जा सका। भगवान शिव ने लिंग को पाँच टुकड़ों में तोड़ दिया और उन्हें पाँच अलग-अलग जगहों पर स्थापित करने के लिए बाँट दिया। इन पाँच जगहों को जहाँ लिंग को स्थापित किया गया है, *पंचराम* के नाम से जाना जाता है।

3.4 संरक्षित संस्मारक का विवरण (वास्तुशिल्प विशेषताएँ, तत्व, सामग्री, आदि):

समालकोट का भीमेश्वर मंदिर वास्तुकला में दक्षराम के भीमेश्वर मंदिर जैसा ही है। मंदिर नक्काशीदार बलुआ पत्थर के प्रकार की दो परतों से घिरा हुआ है। बाहरी प्रकार के चारों तरफ चार *गोपुरा* द्वार हैं। *गोपुरम* के दोनों तरफ अर्धमंडप हैं। अंदर का *प्रकार* विशिष्ट है, दो मंज़िला है और दोनों स्तर पर खंभे बने हैं। बीच के हिस्से में एक छत है। इस अंदर के *प्रकार* को पिछली दीवार की तरह इस्तेमाल करके मंदिर के चारों ओर दो मंज़िला *मंडप* बनाया गया था। इस *मंडप* तक उतरने के लिए पूर्व की तरफ एक सीढ़ी है। इस अंदर के *मंडप* के निचले हिस्से के दक्षिण की तरफ भीमेश्वर मंदिर और सूर्य मंदिर हैं, जबकि पूर्व की तरफ गिरिजा सुंदरी मंदिर है।

अंदर के *प्रकार* के बीच में भीमेश्वर का मंदिर चौकोर आकार का है और इसमें दो मंज़िलें हैं। क्योंकि निचली मंज़िल पर लगा लिंग 14 फ़ीट ऊँचा है, यह ऊपरी छत से होकर दूसरी मंज़िल में जाता है जहाँ रुद्र भाग की पूजा होती है। दूसरी मंज़िल का रास्ता दक्षिण दिशा में है।

विमान खंभों, शेरों, कमल और कलशों से घिरा हुआ है। यह दो मंज़िला है और क्षेत्रीय अंतरों के साथ द्रविड़ शैली में है।

3.5 वर्तमान स्थिति:

3.5.1 संरक्षित संस्मारक की स्थिति - स्थिति आकलन:

संरक्षित संस्मारक का रखरखाव और संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) का विशेष अधिकार क्षेत्र है। संरक्षित संस्मारक की वर्तमान स्थिति को दर्शाने वाले चित्र **अनुलग्नक-IV** में संलग्न हैं।

3.5.2 प्रतिदिन आने वाले लोगों की संख्या और कभी-कभी एकत्रित होने वाले लोगों की संख्या:

संरक्षित संस्मारक में प्रतिदिन औसतन लगभग 1,000 आगुंतक आते हैं और महा शिवरात्रि जैसे बड़े धार्मिक अवसरों पर यह संख्या काफी बढ़ जाती है।

अध्याय - 4

स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं में विद्यमान क्षेत्रीकरण, यदि कोई हो

4.1 मौजूदा ज़ोनिंग:

i. संरक्षित संस्मारक समालकोट मंडल के अंदर आता है। संरक्षित संस्मारक के आस-पास के क्षेत्र के लिए कोई विशिष्ट ज़ोनिंग तैयार नहीं की गई है।

ii. समालकोट मंडल के लिए स्थानीय प्राधियाकरियों ने अभी तक कोई विकास योजना/भूमि उपयोग योजना/मास्टर योजना/ज़ोनिंग विनियम तैयार नहीं किए हैं। इस क्षेत्र के लिए विशिष्ट ज़ोनिंग विनियम भी मौजूद नहीं हैं।

4.2 स्थानीय निकायों के मौजूदा दिशानिर्देश:

i. संरक्षित संस्मारक के आस-पास के क्षेत्र के लिए स्थानीय निकाय के किसी विशेष विकास से जुड़े दिशानिर्देश नहीं हैं।

ii. **आंध्र प्रदेश भवन नियम, 2017** में उल्लिखित सभी विकास नियन्त्रण मानदंड और भवन विनियम, भवन कार्यकलापों को विनियमित करने के लिए राज्य में नगर निगमों, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों और शहरी विकास प्राधिकारियों के तहत आने वाले क्षेत्र पर लागू होते हैं।

iii. आंध्र प्रदेश जल, भूमि एवं वृक्ष अधिनियम, 2002 जल निकायों के संरक्षण के बारे में विनियम उपलब्ध कराता है।

अध्याय - 5

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अभिलेख (रिकार्ड) में परिभाषित सीमाओं के आधार पर प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों की प्रथम अनुसूची नियम 21 (1) / सर्वेक्षण योजना के अनुसार सूचना

5.1 संरक्षित संस्मारक की सर्वेक्षण योजना:

सर्वेक्षण भूखंड संख्या 192 के भाग में शामिल आसन्न भूमि सहित भीमेश्वर मंदिर, समालकोट-भीमावरम (अब समालकोट), ज़िला-ईस्ट गोदावरी (अब काकीनाडा), आंध्र प्रदेश की सर्वेक्षण योजना **अनुलग्नक-I** में देखी जा सकती है।

5.2 सर्वेक्षित आंकड़ों का विश्लेषण:

5.2.1 प्रतिषिद्ध क्षेत्र और विनियमित क्षेत्र का विवरण:

i. प्रतिषिद्ध क्षेत्र लगभग 1,24,490 वर्ग मीटर है।

ii. विनियमित क्षेत्र लगभग 5,05,869 वर्ग मीटर है।

5.2.2 निर्मित क्षेत्र का विवरण:

प्रतिषिद्ध क्षेत्र:

i. **उत्तर:**

इस दिशा में सार्वजनिक शौचालय और कुछ दुकानें (अस्थाई शेड) हैं।

ii. **पूर्व:**

अभी यहां कोई इमारत नहीं है, लेकिन एक बड़े प्लॉट पर निर्माण का काम चल रहा है।

iii. **दक्षिण:**

इस तरफ एक कब्रिस्तान एवं पार्क है, जहाँ गज़ेबो, रेस्ट रूम आदि जैसी कुछ संरचनाएं बनाई गई हैं।

iv. **पश्चिम:**

मांडव्य नारायण मंदिर और संरक्षित संस्मारक को जोड़ने वाली सड़क के उत्तरी हिस्से में स्थानीय शैली के घर और अनुषंगी इमारतें हैं। संरक्षित संस्मारक के पास उत्तर-पश्चिमी हिस्से में एक रेस्टोरेंट और छोटी दुकानें भी हैं।

विनियमित क्षेत्र:

i. **उत्तर:**

कुछ घर और कालिका मंदिर मौजूद हैं।

ii. **पूर्व:**

अभी कोई इमारत मौजूद नहीं है, लेकिन एक बड़े प्लॉट पर निर्माण का काम चल रहा है।

iii. **दक्षिण:**

दक्षिण-पूर्व की तरफ स्थानीय घरों और आस-पास की इमारतों वाली एक छोटी बस्ती मौजूद है।

iv. **पश्चिम:**

मांडव्य नारायण मंदिर और संस्मारक को जोड़ने वाली सड़क के किनारे स्थानीय घर और आस-पास की इमारतें मौजूद हैं। एक ओवरहेड पानी की टंकी भी मौजूद है।

5.2.3 हरित/खुले स्थानों का विवरण:

प्रतिषिद्ध क्षेत्र:

i. **उत्तर:**

प्रतिषिद्ध क्षेत्र का ज़्यादातर उत्तरी हिस्सा पार्क/वृक्षारोपण क्षेत्र और पार्किंग क्षेत्र होने की वजह से हरा-भरा/खुला है।

ii. **पूर्व:**

प्रतिषिद्ध क्षेत्र का पूर्वी हिस्सा खेत है।

iii. **दक्षिण:**

इस दिशा में कब्रिस्तान और बड़े खेत हैं।

iv. **पश्चिम:**

इस दिशा में खेत और प्राइवेट खुली जगहें हैं।

विनियमित क्षेत्र:

i. **उत्तर:**

इस दिशा में खेत और एक बड़ा तालाब है।

ii. **पूर्व:**

इस दिशा में खेत हैं।

iii. **दक्षिण:**

इस दिशा में खेत और निजी खुली जगहें हैं।

iv. **पश्चिम:**

इस दिशा में खेत और निजी खुली जगहें हैं।

5.2.4 परिसंचरण के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र - सड़कें, फुटपाथ आदि:

अधिकांश प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र हरा-भरा/खुला है, जिसकी सीमाओं के अंदर सिर्फ़ दो बस्तियाँ हैं। इसलिए, इस क्षेत्र में सड़कों का नेटवर्क बहुत कम है। अभी सड़कें कच्ची हैं।

5.2.5 भवनों की मौजूदा ऊंचाई:

प्रतिषिद्ध क्षेत्र:

i. **उत्तर:**

सिर्फ़ एक मंज़िला इमारतें (जी) हैं।

ii. **पूर्व:**

कोई इमारत नहीं है।

iii. **दक्षिण:**

इमारतों/संरचनाओं की ऊंचाई जी से जी+1 तक है। इस दिशा में ज़्यादा ऊंचाई जी है।

iv. **पश्चिम:**

सिर्फ़ एक मंज़िला इमारतें (जी) हैं।

विनियमित क्षेत्र:

i. **उत्तर:**

इमारतों/संरचनाओं की ऊंचाई जी से जी+1 तक है, जिसमें ज़्यादातर एक मंज़िला इमारतें हैं।

ii. **पूर्व:**

कोई इमारत नहीं है।

iii. **दक्षिण:**

सिर्फ़ एक मंज़िला इमारतें (जी) हैं।

iv. **पश्चिम:**

सिर्फ़ एक मंज़िला इमारतें (जी) हैं।

5.2.6 प्रतिषिद्ध/विनियमित क्षेत्र के भीतर स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा राज्य संरक्षित संस्मारक और सूचीबद्ध धरोहर भवन, यदि उपलब्ध हों:

संरक्षित संस्मारक के प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों में अभी तक कोई राज्य संरक्षित संस्मारक या स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा सूचीबद्ध विरासत भवन नहीं हैं।

5.2.7 सार्वजनिक सुविधाएं:

प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों में सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन संरक्षित संस्मारक में पार्किंग की जगह, शौचालय, खाने की जगहें और पीने का पानी उपलब्ध हैं।

5.2.8 संरक्षित संस्मारक तक पहुंच:

संरक्षित संस्मारक तक जाने के लिए एनएच-516 एफ से निकलने वाली सीमेंट कंक्रीट की सड़क है, जो गोदावरी नदी नहर पर बने पुल को पार करने के बाद मिलती है। यह पहुंच सड़क सीधे उत्तरी गोपुरम के पास बने निर्धारित पार्किंग क्षेत्र तक जाती है, जो मंदिर कॉम्प्लेक्स का मुख्य प्रवेश द्वार है। समालकोट पुल के पास एक गली से दूसरा रास्ता भी मिलता है, जो मांडव्य नारायण मंदिर को संरक्षित संस्मारक के पश्चिमी गोपुरम से जोड़ता है।

5.2.9 अवसंरचनात्मक सेवाएं (जल आपूर्ति, वर्षा जल निकासी, सीवेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पार्किंग आदि):

प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों में आवश्यक अवसंरचनात्मक सेवाएँ हैं।

5.2.10 स्थानीय निकायों के दिशा-निर्देशों के अनुसार क्षेत्र का प्रस्तावित ज़ोनिंग:

प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र समालकोट मंडल की सीमा के अंदर हैं। स्थानीय निकायों के कोई प्रस्तावित ज़ोनिंग दिशानिर्देश नहीं हैं।

अध्याय - 6

संरक्षित संस्मारक की वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व

6.1 वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व:

वास्तुकला महत्व:

दक्षाराम के भीमेश्वर मंदिर की तरह ही समालकोट का भीमेश्वर मंदिर पूर्वी चालुक्य काल की एक दुर्लभ बची हुई संरचना है। 9वीं सदी में बना यह मंदिर उस समय की बेहतर निर्माण तकनीक और शैली की चीज़ों को दिखाता है। बारीक कटे हुए एशलर पत्थर के ब्लॉक से ड्राई मेसनरी सिस्टम का इस्तेमाल करके बनाए गए इस मंदिर में बारीक पत्थर के *छज्जे*, नक्काशीदार खंभे और शानदार नटराज पैनल हैं। मंदिर की खास बातों में दो मंज़िला अंदर का *प्रकार* शामिल है, जिसके दोनों स्तर पर खंभे बने हैं और 14 फुट ऊंचा लिंग है, जो ऊपरी छत से होकर दूसरी मंज़िल में जाता है, जहाँ रुद्र भाग की पूजा होती है।

ऐतिहासिक महत्व:

समालकोट का भीमेश्वर मंदिर, आंध्र प्रदेश के एक महत्वपूर्ण शैव तीर्थस्थल, पवित्र पंचराम क्षेत्रों में से एक होने के नाते बहुत ऐतिहासिक महत्व रखता है। इसका क्षेत्रीय पौराणिक कथाओं, खासकर भगवान शिव और ताड़कासुर की कहानी से जुड़ाव, इसके गहरे आध्यात्मिक महत्व को दिखाता है। यह मंदिर इस इलाके की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को बनाने में पूर्वी चालुक्यों की भूमिका का सबूत है। उपजाऊ गोदावरी डेल्टा में खास तौर पर मौजूद, समालकोट उनके शासन के दौरान एक महत्वपूर्ण धार्मिक और प्रशासनिक केंद्र के तौर पर उभरा। यह मंदिर शुरुआती मध्ययुगीन मंदिर निर्माण, क्षेत्रीय वास्तुकला शैली और मंदिर परंपराओं के बड़े ऐतिहासिक विकास के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी देता है।

पुरातात्विक महत्व:

मंदिर का पुरातात्विक महत्व इसलिए है क्योंकि यह 1000 साल से भी ज़्यादा पुराना है और मंदिर पर मध्य काल के लगभग 30 शिलालेख हैं, जो 1147 ईस्वी और 1494 ईस्वी के बीच के हैं। इनमें से कुछ शिलालेख मंदिर के महत्वपूर्ण वास्तुकला तत्वों का निर्माण करते हैं, जैसे पूर्व में मुख मंडप 1394 ईस्वी में बना था जबकि श्रीमुखमंडपम 1422 ईस्वी में बना था।

6.2 संरक्षित संस्मारक की संवेदनशीलता (विकासात्मक दबाव, शहरीकरण, जनसंख्या दबाव, आदि):

संरक्षित संस्मारक अभी खेतों के बीच है, जो बढ़ते विकास के दबाव की वजह से भूमि उपयोग को बदलने के लिए तेज़ी से कमज़ोर हो रहे हैं। संरक्षित संस्मारक के पूर्व में भूमि का एक बड़ा हिस्सा, जिस पर पहले खेती होती थी, अब आवास के लिए विकसित किया जा रहा है। आशंका है कि आने वाले समय में विनियमित क्षेत्र के दूसरे हिस्सों में भी इसी तरह का विकास हो सकता है, जिससे चालुक्य-युग के मंदिर कॉम्प्लेक्स की पुरानी कुदरती बनावट खतरे में पड़ सकती है।

भीमेश्वर मंदिर के दक्षिण में लगभग एक किलोमीटर की दूरी पर एडीबी (एशियन डेवलपमेंट बैंक) रोड और एनएच-516 एफ को जोड़ने वाला एक बाईपास रोड बन रहा है। इसके अलावा, मंदिर और इस बाईपास के बीच एक नई कनेक्टिंग रोड बनाने का प्रस्ताव है। हालांकि इस तरह के कामों

से आने-जाने में आसानी हो सकती है, लेकिन वे मंदिर की ऐतिहासिक जगह की मज़बूती के लिए एक बड़ा खतरा भी पैदा करते हैं। प्रस्तावित सड़क के अलाइनमेंट के साथ वाणिज्यिक विकास होने की संभावना है, जिससे संरक्षित संस्मारक की दृश्यता और जगह के हिसाब से प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

6.3 संरक्षित संस्मारक या क्षेत्र से दृश्यता और विनियमित क्षेत्र से दृश्यता:

संरक्षित संस्मारक से दृश्यता:

मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार (उत्तरी गोपुरम) से बाहर का नज़ारा एक कच्चा पार्किंग क्षेत्र और उत्तर-पश्चिम की तरफ कुछ अस्थाई दुकानें दिखाता है। उत्तर-पूर्व की तरफ लैंडस्केप पार्क और एक जन सुविधा की जगह दिखती है। सीढ़ीदार पानी की टंकी के चारों ओर बने वॉकवे से ताड़ के पेड़ों से घिरे बड़े-बड़े खेत के माहौल को बताते हैं। पश्चिमी गोपुरम से दिखने वाले दृश्य में स्थानीय घरों की छतें, दूसरी एक्सेस स्ट्रीट के किनारे लगे पेड़ और एक ओवरहेड पानी की टंकी शामिल है।

विनियमित क्षेत्र से दृश्यता:

मंदिर का *विमान* प्रतिषिद्ध क्षेत्र और विनियमित क्षेत्र, दोनों के पश्चिमी, उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र से, खासकर आने-जाने वाली सड़कों और रास्तों से साफ़ दिखाई देता है।

6.4 भूमि उपयोग:

स्थानीय प्राधिकारियों ने अभी तक कोई मास्टर योजना, विकास योजना या भूमि उपयोग योजना तैयार नहीं की है। हालांकि, प्राथमिक सर्वेक्षण के आधार पर प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में वर्तमान में भूमि उपयोग ज़्यादातर खेती वाला है।

6.5 संरक्षित संस्मारक के अलावा अन्य पुरातात्विक धरोहर अवशेष:

आज तक प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में संरक्षित संस्मारक के अलावा कोई ज्ञात या सूचित किए गए पुरात्तव विरासत के अवशेष नहीं हैं। हालाँकि, इस स्थान पर भूमि की परतों में दबे हुए पुरात्तव अवशेष हो सकते हैं, जिन पर आगे अनुसंधान और खुदाई की जा सकती है।

6.6 सांस्कृतिक परिदृश्य:

यह संरक्षित संस्मारक एक विशिष्ट सांस्कृतिक परिदृश्य में स्थित है, जिसमें धार्मिक, पुरातात्विक और पारिस्थितिकी तत्व शामिल हैं, जो आंध्र प्रदेश की समृद्ध विरासत को दर्शाते है। यह 1,000--साल-पुराना पत्थर का जीवंत मंदिर जल निकायों और हरे-भरे माहौल के बीच बना है, जिसमें खेत और ताड़ के पेड़ इसके शांत माहौल में योगदान देते हैं। यह ऐसे मिले-जुले सांस्कृतिक परिदृश्य के कुछ बचे हुए उदाहरणों में से एक है। यह मंदिर रोज़ाना की रस्मों और हज़ारों भक्तों के लगातार आने-जाने के साथ एक जीवंत पूजा की जगह के रूप में काम करता रहता है, जिससे इसका हमेशा रहने वाला आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व बना रहता है।

6.7 महत्वपूर्ण प्राकृतिक परिदृश्य जो सांस्कृतिक परिदृश्य का हिस्सा बनते हैं और संरक्षित संस्मारक को पर्यावरण प्रदूषण से बचाने में भी मदद करते हैं:

संरक्षित संस्मारक के आस-पास बड़े-बड़े खेत और पेड़-पौधे इसकी साफ़-सुथरी प्राकृतिक बनावट में योगदान देते हैं, साथ ही यह पर्यावरण प्रदूषण के खिलाफ एक कुदरती बफर का काम भी करते

हैं। इसके अलावा, सीढ़ीदार पानी की टंकी और पास का तालाब संरक्षित संस्मारक के आस-पास के कुदरती नज़ारे को और भी बेहतर बनाते हैं।

6.8 खुली जगह और निर्माण का उपयोग:

खुली जगहों का उपयोग ज़्यादातर खेती और भंडारण के लिए किया जाता है। प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में सिवाय कुछ छोटे मंदिरों के ज़्यादातर इमारतों का उपयोग आवास के लिए किया जाता है।

6.9 पारंपरिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ:

भीमेश्वर मंदिर, आंध्र प्रदेश के पाँच पवित्र शिव मंदिरों के समूह, पाँच "पंचराम क्षेत्रों" में से एक है, जिनका बहुत अधिक आध्यात्मिक महत्व है। माना जाता है कि मंदिर में मौजूद *शिवलिंग* को पारंपरिक रूप से भगवान शिव के बेटे, भगवान कुमार स्वामी (भगवान कार्तिकेय) ने प्रतिष्ठित किया था। इस जुड़ाव की वजह से मंदिर में पूरे इलाके से हज़ारों भक्त आते रहते हैं और खासकर बड़े त्योहारों के दौरान यह धार्मिक गतिविधियों का एक जीवंत केंद्र बन जाता है।

सबसे खास त्योहारों में से एक है महा शिवरात्रि, जिसे खास रस्मों, *अभिषेक* और रात भर जागरण के ज़रिए बड़ी श्रद्धा से मनाया जाता है। एक और खास त्योहार है कल्याण महोत्सव, जो बड़े समारोहों के ज़रिए भगवान भीमेश्वर और देवी बाला त्रिपुरसुंदरी की दिव्य शादी की याद में मनाया जाता है। सरनावरात्रि (नवरात्रि) के दौरान मंदिर रोज़ाना की रस्मों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और जुलूसों का केंद्र बन जाता है। कार्तिक मास का पवित्र महीना भी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है, क्योंकि भक्त तेल के दीपक जलाते हैं और रोज़ाना पूजा करते हैं। मंदिर से सटा हुआ सीढ़ीदार पानी का तालाब पवित्र माना जाता है और इसका इस्तेमाल पूजा-पाठ के लिए किया जाता है। इसके अलावा, मंदिर के दक्षिण में मौजूद श्मशान घाट को काशी के बराबर पवित्र माना जाता है, और यहां किए गए अंतिम संस्कार मोक्ष देने वाले माने जाते हैं।

6.10 संरक्षित संस्मारक और विनियमित क्षेत्रों से दिखाई देने वाला क्षितिज:

संरक्षित संस्मारक से दिखाई देने वाला क्षितिज:

संरक्षित संस्मारक से देखने पर क्षितिज चारों तरफ पेड़ों से भरी हुई है।

विनियमित क्षेत्रों से दिखाई देने वाला क्षितिज:

जब इसे पहुंच सड़क, पार्किंग की जगहों और पूर्वी तरफ के खेतों से देखा जाता है, तो संरक्षित संस्मारक क्षितिज पर छा जाता है।

6.11 पारंपरिक वास्तुकला:

संरक्षित संस्मारक के आस-पास कई स्थानीय घर हैं। ये ज़्यादातर एक मंज़िला इमारतें हैं जो मलबे के पत्थर या मिट्टी के गारे वाली ईंटों से बनी हैं। छतों में या तो छप्पर या मैंगलोर टाइलें होती हैं, जो लकड़ी के बीम और ट्रस पर टिकी होती हैं। **अनुलग्नक-IV** देखें।

6.12 स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा उपलब्ध विकास योजना:

समालकोट मंडल के लिए कोई प्रस्तावित या मौजूदा विकास योजना या ज़ोनिंग विनियम उपलब्ध नहीं हैं।

6.13 अनुमेय भवन संबंधी मापदंड:

6.13.1 मरम्मत और नवीनीकरण (प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में):

आंतरिक परिवर्तन और अनुकूली पुनः उपयोग की सामान्य रूप से अनुमति दी जा सकती है। हालाँकि, बाहरी परिवर्तन सक्षम प्राधिकारी द्वारा विस्तृत जाँच के अधीन होंगे। ऐसे परिवर्तन जिनमें रेट्रोफिटिंग/नवीनीकरण शामिल है, की अनुमति तब दी जा सकती है जब इमारत संरचनात्मक रूप से कमज़ोर या असुरक्षित हो या जब उस पर किसी प्राकृतिक आपदा का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो और नवीनीकरण अत्यंत आवश्यक हो। मूल इमारत शब्दावली और लेआउट के साथ-साथ निर्मित-खुले संबंधों का पालन किया जाना चाहिए। सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति के अधीन इमारतों की सामान्य मरम्मत और रखरखाव की अनुमति होगी।

भवन/संरचनाओं में मरम्मत और नवीनीकरण संरक्षित संस्मारक और उसके आस-पास के क्षेत्रों की धरोहर विशेषताओं के अनुरूप और उससे मेल खाता होना चाहिए। एल्युमिनियम कम्पोजिट पैनल (एसीपी), हाई प्रेशर लैमिनेट्स (एचपीएल), लैमिनेट्स, टाइलिंग या ग्लेज़िंग जैसी नई क्लैडिंग सामग्रियों की अनुमति नहीं दी जाएगी। मरम्मत और नवीनीकरण कार्यों को करने में स्थानीय रूप से उपलब्ध निर्माण सामग्री के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

6.13.2 पुनर्निर्माण:

पुनर्निर्माण को एएमएएसआर अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 2(त) में परिभाषित किया गया है। विनियमित क्षेत्र में पुनर्निर्माण की अनुमति एएमएएसआर अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 20ग(2) और एएमएएसआर (विरासत उपनियमों का निर्धारण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम, 2011 के नियम 6(IV) और नियम 7 के अनुसार दी जाती है। किसी संरक्षित संस्मारक या संरक्षित क्षेत्र के प्रतिषिद्ध या विनियमित क्षेत्र में स्थित किसी भी प्रकार के भवन या सरंचना, जो प्राकृतिक आपदाओं से ध्वस्त या क्षतिग्रस्त हो गयी है और जिसकी मरम्मत नहीं की जा सकती है, के मामले में पुनर्निर्माण की एएमएएसआर (विरासत उपनियमों का निर्धारण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम, 2011 के नियम 16 के अनुसार दी जाती है। प्राकृतिक आपदा के कारण क्षतिग्रस्त भवन अथवा संरचना के पुनर्निर्माण की अनुमति उसी सीमा तक दी जाएगी जितनी क्षति हुई है। पुनर्निर्माण के मामले में पुरानी इमारत के प्रतिस्थापन के रूप में नई संरचना या इमारत को पहले से मौजूद संरचना के अनुसार उसी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सीमाओं का पालन करना होगा। अग्रभाग में असंगत सामग्री जैसे ग्लेज़िंग, मेटल क्लैडिंग, एल्युमीनियम कम्पोजिट पैनल (एसीपी), हाई प्रेशर लैमिनेट्स (एचपीएल), टाइल्स, लैमिनेट्स के उपयोग की अनुमति नहीं होगी। नई संरचना संरक्षित संस्मारक के धरोहर क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्र के साथ मेल खाती और उसके अनुरूप होनी चाहिए।

6.13.3 नया निर्माण:

6.13.3 क प्रतिषिद्ध क्षेत्र:

सामान्य शब्दों में, एएमएएसआर अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, कीधारा 20क(4) के अनुसार, संरक्षित संस्मारक के प्रतिषिद्ध क्षेत्र के भीतर किसी भी सार्वजनिक कार्य या जनता के लिए आवश्यक परियोजना या अन्य निर्माण सहित किसी भी नए निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6.13.3 ख विनियमित क्षेत्र:

चूंकि स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा कोई भूमि उपयोग योजना/मास्टर योजना/ज़ोनिंग विनियम तैयार नहीं किए गए हैं, इसलिए इस धरोहर उप-विधि में निर्धारित ऊंचाई और अन्य भवन-संबंधी मापदंड संरक्षित संस्मारक के विनियमित क्षेत्र में सभी प्रकार के निर्माण के लिए लागू होंगे।

1. **स्थल पर नए निर्माण की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन कक्ष, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं या छत पर कोई अन्य सेवाएं आदि सहित):**

   i. नए निर्माण या मौजूदा इमारतों में परिवर्धन/परिवर्तन के लिए अधिकतम ऊंचाई सीमा **4.50 मीटर** से अधिक नहीं होगी (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन कक्ष, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंटहाउस, टैरेस गार्डन की संरचनाएं या छत पर कोई अन्य सेवाएं आदि सहित)।

   ii. जहां तक संभव हो, बेसमेंट के निर्माण को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

2. **उपयोग:**

   i. संरक्षित संस्मारक की ऐतिहासिक अवस्थिति को बनाए रखने के लिए इलाके के मौजूदा खेती वाले स्वरूप को बनाए रखा जाना चाहिए। जहाँ तक संभव हो, संरक्षित संस्मारक के विनियमित क्षेत्र में कोई नया विकास जोन प्रस्तावित नहीं किया जाना चाहिए।

   ii. संरक्षित संस्मारक के विनियमित क्षेत्र में, मौजूदा खेती की ज़मीन पर सिर्फ़ उसी निर्माण की अनुमति है जो विशेष छूट के तहत आते हैं। खेती की ज़मीन पर इन अनुमेय निर्माण में खेती से जुड़े निर्माण, घरों जैसे निर्माण और खेतों में काम करने वाले लोगों के लिए सहायक इमारतें शामिल हैं, जैसे कि फ़सलों, चारे, खाद, खेती के औज़ारों और इसी तरह के दूसरे कामों के भंडारण के लिए इस्तेमाल होने वाले निर्माण।

   iii. किसी संरक्षित संस्मारक या संरक्षित क्षेत्र के प्रतिषिद्ध क्षेत्र और विनियमित क्षेत्र के भीतर भूमि का कोई भी परिवर्तन राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण के साथ पूर्व परामर्श के बाद किया जाना चाहिए।

   iv. ऊंची इमारतों, ग्रुप हाउसिंग, बड़े उद्योगों या वाणिज्यिक परिसरों के निर्माण को हतोत्साहित करने के लिए लैंड पूलिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

3. अग्रभाग डिजाइन:

i. छूट वाले निर्माण में पारंपरिक स्थानीय भवन निर्माण सामग्री का उपयोग करके स्थानीय वास्तुकला को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। भवन के बाहरी हिस्से में पारंपरिक वास्तुशिल्पीय तत्वों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जहाँ तक संभव हो, स्थानीय घरों में पाए जाने वाले वास्तुशिल्पीय तत्वों की शैली और अनुपात का पालन किया जाना चाहिए।

ii. नए निर्माण का अग्रभाग डिजाइन न्यूनतम प्रकृति का होना चाहिए, ताकि यह संरक्षित संस्मारकों और आसपास के क्षेत्र की समग्र विरासत विशेषता पर हावी न हो।

iii. अग्रभाग का डिजाइन सूक्ष्म, प्लास्टर किया हुआ और मिट्टी के रंगों (सफेद, ग्रे, बेज, भूरा आदि) में रंगा हुआ होना चाहिए।

iv. बाहरी अग्रभाग पर बाहरी परिसज्जा के लिए एल्युमिनियम कम्पोजिट पैनल (एसीपी), हाई प्रेशर लैमिनेट (एचपीएल) और किसी भी अन्य सिंथेटिक सामग्री जैसी अंतर्वेधी सामग्रियों के उपयोग को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

v. रंगीन चमकीले अग्रभाग के उपयोग को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

vi. विनियमित क्षेत्र के भीतर स्थित सभी भवनों के लिए दुकानों और आवासों के अनौपचारिक विस्तार को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।

vii. प्लंबिंग और विद्युत सेवाओं को भवन के बाहरी हिस्से में न करके व्यवस्थित किया जाना चाहिए।

4. छत का डिज़ाइन:

i. टेराकोटा छत टाइल्स/मैंगलोर और छत टाइल्स के साथ पारंपरिक ढलान वाली छत प्रणाली के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

ii. भवन की छत पर एल्युमीनियम, फाइबरग्लास, पॉलीकार्बोनेट या इसी तरह की सामग्री का उपयोग करके अस्थायी प्रकृति की भी संरचनाओं के निर्माण को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

iii. छत पर रखी गई बड़ी एयर कंडीशनिंग इकाइयों, छत पर पानी के भंडारण टैंक या बड़े जनरेटर सेट जैसी सभी सेवाओं को स्क्रीन वॉल (ईंट/सीमेंट शीट, लौवर, जालियां या ऐसे अन्य डिज़ाइन तत्व) का उपयोग करके ढक दिया जाना चाहिए। इन सभी सेवाओं को अधिकतम स्वीकार्य ऊंचाई में शामिल किया जाना चाहिए।

5. निर्माण सामग्री:

i. संरक्षित संस्मारक के सभी सड़क के अग्रभागों पर निर्माण सामग्री और रंग में एकरूपता बनाए रखी जानी चाहिए।

ii. बाहरी परिसज्जा के लिए आधुनिक निर्माण सामग्री जैसे एल्युमीनियम क्लैडिंग, ग्लास ईंटें और किसी भी अन्य सिंथेटिक टाइल या सामग्रियों के उपयोग को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

iii. लेटराइट पत्थर, मिट्टी/मिट्टी की ईंटें, मैंगलोर टाइल्स और लकड़ी जैसे पारंपरिक निर्माण सामग्री के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। निर्माण के लिए आधुनिक निमा्रण सामग्री का उपयोग किया जा सकता है, बशर्ते उस क्षेत्र की पारंपरिक वास्तुशिल्पीय शब्दावली का पालन किया जाए।

6. रंग:

बाहरी रंग संरक्षित संस्मारक के साथ सामंजस्य रखते हुए तटस्थ स्वर का होना चाहिए, जैसे कि बफ बलुआ पत्थर का रंग, सफेद, बेज और अन्य मिट्टी के रंग, जो संरक्षित संस्मारक और उसके आसपास के वातावरण के साथ तीव्र विरोधाभास पैदा न करें।

7. अन्य विनियम:

मेट्रो रेल सिस्टम (भूमिगत या एलिवेटेड), रेल या सड़क ओवर ब्रिज, फ्लाई ओवर, बहु-स्तरीय पार्किंग सुविधाएं या सार्वजनिक हित में इसी तरह की विकास परियोजनाओं और संस्थागत भवनों के निर्माण या जो जनता के लिए आवश्यक हैं, जैसे बड़े पैमाने पर सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के निर्माण के प्रस्ताव एक विस्तृत विरासत प्रभाव आकलन (एचआईए) रिपोर्ट के अध्यधीन होंगे। ऐसी परियोजनाओं पर तभी विचार किया जा सकता है जब यह स्पष्ट रूप से स्थापित हो जाए कि वे संरक्षित संस्मारक या उसके आस-पास के क्षेत्र के संरक्षण, सुरक्षा, संरक्षा, दृश्य अखंडता या पहुंच पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे।

6.14 आगंतुक सुविधाएं और प्रसाधन:

व्यवहार्यता के अनुसार आगंतुक सुविधाओं और प्रसाधनों पर विचार किया जाए।

अध्याय - 7

स्थल विशिष्ट सिफारिशें

7.1 स्थल विशिष्ट सिफ़ारिशें:

i. जहां तक हो सके, प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में पर्यटन सुविधाओं के अलावा दूसरी वाणिज्यिक गतिविधियों को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

ii. मंदिर पार्किंग क्षेत्र के अच्छे प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश बनाए जा सकते हैं।

iii. स्थानीय प्रशासन को ज़्यादा पेड़ लगाने और मौजूदा पेड़ों को बनाए रखने के लिए बढ़ावा देना चाहिए।

iv. संरक्षित संस्मारक के प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में जल स्रोतों का संरक्षण किया जाना चाहिए।

v. स्थानीय प्रशासन को संरक्षित संस्मारक के आसपास के क्षेत्र में अतिक्रमण और अनियोजित विकास को रोकने के लिए सक्रिय कदम उठाने चाहिए।

vi. विनियमित क्षेत्र के भीतर टेलीफोन एक्सचेंज, मोबाइल टावर, बिजली ट्रांसमिशन टावर, चिमनियाँ और ओवरहेड पानी की टंकियों को हतोत्साहित किया जाना चाहिए और उन्हें विनियमित क्षेत्र से बाहर लगाने पर विचार किया जा सकता है।

vii. संरक्षित संस्मारक या उसके आसपास के क्षेत्रों में एलईडी या डिजिटल संकेतक, प्लास्टिक फाइबर ग्लास या किसी अन्य अत्यधिक परावर्तक सिंथेटिक सामग्री का उपयोग संकेतक के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

viii. संरक्षित संस्मारक के पास, विशेष रूप से संस्मारक की दीवारों पर होर्डिंग, बिलबोर्ड और पोस्टर के रूप में किसी भी विज्ञापन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

ix. वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन और कंपन के कारण संरक्षित संस्मारक पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए संरक्षित संस्मारक के आसपास आवाजाही के लिए पर्यावरण के अनुकूल वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

7.2 अन्य सिफारिशें:

i. जब भी मास्टर प्लान, क्षेत्रीय योजना या विकास योजना तैयार की जाए या उसमें संशोधन किया जाए, तो उसमें राष्ट्रीय महत्व के सभी संरक्षित संस्मारकों और उनके प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए।

ii. जहां तक व्यवहार्य हो, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार व्यवस्था की जानी चाहिए।

iii. क्षेत्र को प्लास्टिक और पॉलीथीन मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए।

iv. सांस्कृतिक विरासत स्थलों और परिसरों के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश https://nidm.gov.in/PDF/pubs/NDMA/20.pdf. पर देखे जा सकते हैं।

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL MONUMENTS AUTHORITY

In exercise of the powers conferred by section 20E of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958, as amended, read with Rule 22 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye-Laws and Other Functions of the Competent Authority) Rule, 2011 the following Heritage Bye-Laws for the Protected Monument **"Bhimesvara temple together with adjacent land comprised in part of survey plot No. 192, Samalkot-Bhimavaram (now Samalkot), District-East Godavari (now Kakinada), Andhra Pradesh"** prepared by the Competent Authority, in consultation with the Indian National Trust for Art and Cultural Heritage (INTACH), New Delhi were published on 28.04.2025, as required by sub-rule 2 of Rule 18 of the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of Authority and Conduct of Business) Rules, 2011 for inviting objections or suggestions from the public;

The objections/suggestions, received before the specified date have duly been considered by the National Monuments Authority in consultation with the Competent Authority.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (5) of the Section 20E of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958, as amended, the National Monuments Authority, hereby makes the following bye-laws, namely:

Heritage Bye-Laws for "Bhimesvara temple together with adjacent land comprised in part of survey plot No. 192, Samalkot-Bhimavaram (now Samalkot), District - East Godavari (now Kakinada), Andhra Pradesh"

CHAPTER - 1

PRELIMINARY

1.1 Short title, Extent and Commencements:-

(i) This Heritage Bye-Law may be called the National Monuments Authority Heritage Bye-Laws, 2026 of the Protected Monument **"Bhimesvara temple together with adjacent land comprised in part of survey plot No. 192, Samalkot-Bhimavaram (now Samalkot), District-East Godavari (now Kakinada), Andhra Pradesh"**.

(ii) They shall extend to the entire Prohibited and Regulated Area of the Protected Monuments.

(iii) The provisions of these bye-laws shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other bye-laws, whether made before or after the commencement of these bye-laws, or in any instrument having effect by virtue of any bye-laws. It shall not be obligatory to carry out amendments in these bye-laws to make them consistent with any other bye-laws.

(iv) They shall come into force with effect from the date of their publication.

1.2 Definitions:

1. In this Heritage Bye-Law, unless the context otherwise requires, -

(a) "ancient monument" means any structure, erection or monument, or any tumulus or place of interment, or any cave, rock sculpture, inscription or monolith, which is of historical, archaeological or artistic interest and which has been in existence for not less than one hundred years, and includes -

(i) the remains of an ancient monument,

(ii) the site of an ancient monument,

(iii) such portion of land adjoining the site of an ancient monument as may be required for fencing or covering in or otherwise preserving such monument, and

(iv) the means of access to, and convenient inspection of an ancient monument,

(b) "archaeological site and remains" means any area which contains or is reasonably believed to contain ruins or relics of historical or archaeological importance which have been in existence for not less than one hundred years, and includes:

(i) such portion of land adjoining the area as may be required for fencing or covering in or otherwise preserving it, and

(ii) the means of access to, and convenient inspection of the area,

(c) "Act" means the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958, as amended,

(d) "Archaeological Officer" means an officer of the Department of Archaeology of the Government of India not lower in rank than Assistant Superintendent of Archaeology,

(e) "Authority" means the National Monuments Authority constituted under Section 20F of the Act,

(f) "Competent Authority" means an officer not below the rank of Director of archaeology or Commissioner of archaeology of the Central or State Government or equivalent rank, specified, by notification in the Official Gazette, as the competent authority by the Central Government to perform functions under this Act:

Provided that the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify different competent authorities for the purpose of section 20C, 20D and 20E,

(g) "construction" means any erection of a structure or a building, including any addition or extension thereto either vertically or horizontally, but does not include any re-construction, repair and renovation of an existing structure or building, or, construction, maintenance and cleansing of drains and drainage

works and of public latrines, urinals and similar conveniences, or, the construction and maintenance of works meant for providing supply or water for public, or, the construction or maintenance, extension, management for supply and distribution of electricity to the public or provision for similar facilities for public,

(h) "Government" means The Government of India,

(i) "maintain", with its grammatical variations and cognate expressions, includes the fencing, covering in, repairing, restoring and cleansing of a Protected Monument, and the doing of any act which may be necessary for the purpose of preserving a Protected Monument or of securing convenient access thereto,

(j) "owner" includes:

(i) A joint owner invested with powers of management on behalf of himself andother joint owners and the successor-in-title of any such owner, and

(ii) Any manager or trustee exercising powers of management and the successor-in-office of any such manager or trustee,

(k) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(l) "Prohibited Area" means any area specified or declared to be a Prohibited Area under section 20A,

(m) "Protected Area" means any archaeological site and remains which is declared to be of national importance by or under this Act,

(n) "Protected Monument" means any ancient monument which is declared to be of national importance by or under this Act,

(o) "Regulated Area" means any area specified or declared to be a Regulated Area under section 20B,

(p) "re-construction" means any erection of a structure or building to its pre-existing structure, having the same horizontal and vertical limits,

(q) "repair and renovation" means alterations to a pre-existing structure or building, but shall not include construction or re-construction,

2. The words and expressions used herein and not defined shall have the same meaning as assigned in the Act or the rules made there under.

CHAPTER - 2

Background of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (AMASR) Act, 1958, as amended

2.1 Background of the Act:

The Heritage Bye-Laws are intended to guide physical, social and economic interventions within 300 metres in all directions of the Protected Monument. The 300 metres area has been divided into two parts (i) the **Prohibited Area,** the area beginning at the limit of the Protected Area or the Protected Monument and extending to a distance of 100 metres in all directions and (ii) the **Regulated Area**, the area beginning at the limit of the Prohibited Area and extending to a distance of 200 metres in all directions.

As per the provisions of the Act, no person shall undertake any construction or miningoperation in the Protected Area and Prohibited Area while permission for repair and renovation of any building or structure, which existed in the Prohibited Area before 16th day of June, 1992, or which had been subsequently constructed with the approval of Director General (DG), Archaeological Survey of India (ASI) and; permission for construction, re-construction, repair or renovation of any building or structure in the Regulated Area, must be sought from the Competent Authority.

2.2 Provision of the Act related to Heritage Bye-Laws:

Section 20E of the AMASR Act, 1958, as amended and Rule 22 of the Ancient Monument and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye-Laws and other function of the Competent Authority) Rules 2011, specifies framing of Heritage Bye-Laws for Protected Monuments.Ibid Rule provides parametres for the preparation of Heritage Bye-Laws. Rule 18 of the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of Authority and Conduct of Business) Rules, 2011, specifies the process of approval of Heritage Bye-laws by the Authority.

2.3 Rights and Responsibilities of Applicant:

Section 20C of the AMASR Act, 1958, as amended, specifies details of application for repair and renovation in the Prohibited Area, or construction or re- construction or repair or renovation in the Regulated Area as described below:

(a) Any person, who owns any building or structure, which existed in a Prohibited Area before 16th day of June, 1992, or, which had been subsequently constructed with the approval of the Director General and desires to carry out any repair or renovation of such building or structure, may make an application to the Competent Authority for carrying out such repair and renovation as the case may be.

(b) Any person, who owns or possesses any building or structure or land in any Regulated Area, and desires to carry out any construction or re-construction or repair or renovation of such building or structure on such land, as the case maybe, make an application to the Competent Authority for carrying out constructionor re-construction or repair or renovation as the case may be.

(c) It is the responsibility of the applicant to submit all relevant information and abide by the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of the Authority and Conduct of Business) Rules, 2011.

CHAPTER - 3

Location and Setting of the Protected Monument – Bhimesvara temple together with adjacent land comprised in part of survey plot No. 192, Samalkot-Bhimavaram (now Samalkot), District-East Godavari (now Kakinada), Andhra Pradesh

3.1 Location and Setting of the Protected Monument:

The Protected Monument is located in the southernmost part of Samalkot town commonly known as Samarlakota, across the railway line. Situated in the Coastal Andhra region, Samalkot is one of the 21 mandals of the Kakinada district. It shares its boundary with Peddapuram and Pithapuram mandals in the North, U. Kothapalli and Kakinada Rural mandals in the East, Pedapudi mandal in the South, and Konaseema district in the West. The Kakinada Port, which serves as a vital hub for maritime trade in the region, is located about 20 kilometres Southeast of Samalkot town, with direct connectivity via National Highway-516F (NH-516F).

The nearby major towns include Peddapuram (approximately 5 kilometres North West), Pithapuram (approximately 13 kilometres Northeast), Kakinada (approximately 15 kilometres Southeast), Ramachandrapuram (approximately 34 kilometres Southwest) and Rajamahendravaram (approximately 49 kilometres West).

Samalkot is strategically located near major highways, including NH-16 and NH-216, ensuring seamless access to nearby cities such as Rajamahendravaram, Kakinada, and Visakhapatnam. The town is also well connected by railways, as Samalkot railway station is a major junction on the Howrah–Chennai main line. The nearest airport is located in Rajamahendravaram.

The Protected Monument is located about 350 metres South of Samalkot (Samarlakota) railway station, with the railway tracks acting as a buffer between the pristine natural setting of the Protected Monument and the dense settlement of the town. The Protected Monument also retains a distinct rural setting, being surrounded by agricultural fields, plantation areas, a cremation ground, ponds, small shrines, and a few vernacular houses, all of which contribute to its traditional and serene ambience.

Bhimesvara Temple is part of a temple complex consisting of a large pentagonal stepped water tank built in stone on the Eastern side; a smaller temple dedicated to Lord Vishnu, called the Mandavya Narayana Temple, located about 400 metres to the West; subsidiary shrines built within the enclosure walls of the main temple; and a monolithic stone pillar erected outside the Western gopuram.

The geographical coordinates of the Protected Monument are as follows:

Latitude: 17°2'32.26" N; **Longitude:** 17°2'32.26" N.

Figure 1: Satellite imagery showing the location and setting of - Bhimesvara temple together with adjacent land comprised in part of survey plot No. 192, Samalkot-Bhimavaram (now Samalkot), District - East Godavari (now Kakinada), Andhra Pradesh.

3.2 Protected Boundary of the Protected Monument:

The boundary of the Protected Monument – Bhimesvara temple together with adjacent land comprised in part of survey plot No. 192, Samalkot-Bhimavaram (now Samalkot), District - East Godavari (now Kakinada), Andhra Pradesh may be seen at **Annexure-I**.

3.2.1 Notification Map/ Plan as per ASI records:

The Gazette Notification of Protected Monument – Bhimesvara temple together with adjacent land comprised in part of survey plot No. 192, Samalkot-Bhimavaram (now Samalkot), District - East Godavari (now Kakinada), Andhra Pradesh may be seen at **Annexure-II**.

3.3 History of the Protected Monument:

Established in the 1st century CE, Samalkot or Samarlakota, was ruled by various royal Dynasties, among which the Eastern Chalukyas, also known as the Vengi Chalukyas, were the most notable rulers. While their territory extended from the Mahendra Parvata in the Kalinga to the Munneru River in Nellore, their rule, spanning from around 624 CE to 1076 CE, profoundly influenced the history and culture of Andhra Pradesh. Initially, the dynasty established its capital at Pishtapura (modern-day Pithapuram) but later shifted it to Vengi and subsequently to Rajamahendravaram.

The Eastern Chalukya dynasty, consisting of thirty rulers, began with its founder, Kubja Vishnuvardhana, and concluded with the reign of its last king, Vijayaditya VII. Among the notable monarchs were Narendra Mrigaraja Vijayaditya (805–846 CE), Gunaga Vijayaditya (848–891 CE), Chalukya Bhima (892–922 CE), Danarnava (971–973 CE), Ammaraja II (943–970 CE), and Raja Raja Narendra (1019–1060 CE). These rulers were patrons of art, architecture, sculpture, and literature, contributing significantly to the cultural development of their era.

According to an inscription at *Pithapuram*, Chalukya Bhima (Kumara Rama Chalukya) built the Bhimesvara temple at Samalkot in the late 9th Century to express his gratitude for his victories in the wars. It is also mentioned in one of the inscriptions carved on the walls of the Bhimesvara temple that Samalkot village was also known as “Chalukya Bhimavaram” in earlier times.

The temple also contains 30 inscriptions from the medieval period, dating between 1147 CE and 1494 CE. Some of these inscriptions document the construction of significant architectural elements of the temple, like the Mukha Mandapam in the east, which was built in 1394 CE, while the Srimukhamandapam was built in 1422 CE.

Bhimesvara Temple, known as Kumararama, is also considered to be one of the Pancharama Kshetras, a group of five temples dedicated to Lord Shiva in Andhra Pradesh, which hold immense religious value. There are different mythological accounts related to the origin of Panchrama Kshetras. According to “*Spatika Linga*”, a demon named Tarakasura, after receiving a boon from Lord Shiva’s Atma Linga, started troubling the Devas. Thus, Lord Shiva sent his son, Lord Kumar Swamy (Lord Kartikaya), to punish Tarakasura. After Tarakasur’s defeat, the Atma Linga got divided into five pieces, and the Devas installed them at different places. Apart from Bhimesvara Temple, other pancharamas are Amaralingeswar Temple in Amaravati

(Guntur district), Bhimesvara Temple in Draksharama (Konaseema district), Ksheeraramalingeswar in Palakollu (West Godavari district) and Somarama Temple in Bhimavaram (West Godavari district).

"Bhimesvara Purana", written by Srinadha Mahakavi (14th to 15th Century CE), narrates a different story about the origin of these Pancharamas. According to it, while Lord Vishnu in the form of Mohini was distributing the nectar that came out after the churning of the sea, the disgruntled Rakshasas led by the Lord of Tripuras performed intense worship of Lord Shiva for the injustice done to them. With their newly acquired power, the Rakshasas subjected the Gods (Devas) to many sufferings, and the Devas took shelter of Lord Shiva. Lord Shiva took pity on the Devas and burned the demons and their kingdom to ashes with his *pasupatha*. In this battle, only one big lingam worshipped by the Tripurasuras could not be damaged. Lord Shiva broke the lingam into five pieces and distributed them to be installed in five different places. These five places where the linga has been consecrated are known as the *Pancharamas*.

3.4 Description of the Protected Monument (architectural features, elements, materials, etc.):

The Bhimesvara temple in Samalkot is similar in architecture to the Bhimesvara temple in Daksharam. The temple is surrounded by two layers of carved sandstone *prakara*. There are four *gopura* gates on the four sides of the outer *prakara*. There are Ardhamandapams on either side of the *gopurams*. The inner *prakara* is unique, two-storied with colonnades on both levels. There is a roof in the middle portion. A two-storied *mandapa* was built around the temple using this inner *prakara* as the back wall. There is a staircase on the Eastern side to descend to this *mandapam*. To the Southern side of the lower part of this inner *mandapa* is the Bhimesvara temple and Surya temple while the Girija Sundari temple's on the Eastern side.

The temple of Bhimeshwar in the middle of the inner *prakara* is square in shape and has two floors. As the linga installed in the lower floor is 14 feet tall, it passes through the upper roof and enters the second floor where Rudra Bhaga is worshipped. The passage to the second floor is on the Southern side.

The *vimana* is surrounded by pillars, lions, lotuses, and kalashas. It is two storeyed and in Dravidian style with regional variations.

3.5 Current Status:

3.5.1 Condition of the Protected Monument- condition assessment:

The maintenance and preservation of the Protected Monument is the exclusive domain of the Archaeological Survey of India (ASI). The photographs depicting the present condition of the Protected Monument are appended at **Annexure–IV**.

3.5.2 Daily footfalls and occasional gathering numbers:

The Protected Monument receives an average footfall of approximately 1,000 visitors per day, with the numbers rising significantly during major religious occasions such as Maha Shivaratri.

CHAPTER - 4

Existing Zoning, if any, in the Local Area Development Plans

4.1 Existing Zoning:

i. The Protected Monument comes under Samalkot Mandal. No specific zoning has been prepared for the area around the Protected Monument.

ii. No Development plan/ Land-use plan/ Master plan/ Zoning regulations have been prepared as yet by the Local Authorities for Samalkot Mandal. Specific zoning regulations for this area are also not available.

4.2 Existing Guidelines of the Local Bodies:

i. No specific development-related guidelines of the local bodies are available for the area around the Protected Monument.

ii. All other development control norms and building regulations specified in the **Andhra Pradesh Building Rules, 2017** are applicable to Municipal Corporations, Municipalities, Nagar Panchayats and areas covered by Urban Development Authorities in the State to regulate the building activities.

iii. Andhra Pradesh Water, Land and Trees Act, 2002 provides regulations regarding the protection of water bodies.

CHAPTER - 5

Information as per First Schedule, Rule 21(1) / Survey Plan of the Prohibited and the Regulated Areas on the basis of boundaries defined in Archaeological Survey of India records

5.1 Survey Plan of the Protected Monument:

The Survey Plan of Bhimesvara temple together with adjacent land comprised in part of survey plot No. 192, Samalkot-Bhimavaram (now Samalkot), District-East Godavari (now Kakinada), Andhra Pradesh, may be seen at **Annexure-I**.

5.2 Analysis of surveyed data:

5.2.1 Prohibited Area and Regulated Area details:

i. Prohibited Area is approximately 1,24,490 square metres.

ii. Regulated Area is approximately 5,05,869 square metres.

5.2.2 Description of built-up area:

Prohibited Area:

i. **North:**

Public toilet and a few shops (temporary sheds) are present in this direction.

ii. **East:**

At present, no building is present, however, construction on a large plot is under way.

iii. **South:**

A graveyard cum park is present on this side within where few structures like gazebos, rest rooms, etc. have been built.

iv. **West:**

Vernacular houses and ancillary structures are present on the Northern side of the street connecting the Mandavya Narayana Temple and the Protected Monument. A restaurant and small shops are also present near the Protected Monument on the North Western side.

Regulated Area:

i. **North:**

A few residences and Kaalika temple are present.

ii. **East:**

At present, no building is present, however, construction on a large plot is under way.

iii. **South:**

A small settlement with vernacular houses and ancillary structures is present on the South Eastern side.

iv. **West:**

Vernacular houses and ancillary structures are present along the street connecting Mandavya Narayana Temple and the Monument. An overhead water tank is also present.

5.2.3 Description of green/open spaces:

Prohibited Area:

i. **North:**

Most of the Northern part of the Prohibited Area is green/open in nature due to the presence of parks/plantation area and parking area.

ii. **East:**

Agricultural fields constitute the Eastern part of the Prohibited Area.

iii. **South:**

Graveyard and large agricultural fields are present in this direction.

iv. **West:**

Agricultural fields and private open spaces are present in this direction.

Regulated Area:

i. **North:**

Agricultural fields and a large pond are present in this direction.

ii. **East:**

Agricultural fields are present in this direction.

iii. **South:**

Agricultural fields and private open spaces are present in this direction.

iv. **West:**

Agricultural fields and private open spaces are present in this direction.

5.2.4 Area covered under circulation-roads, footpaths etc.:

Most of the Prohibited and Regulated Area is green/open in nature, with only two settlements present within the boundaries. Thus, the area has a very limited road network. The present streets are unpaved.

5.2.5 Existing Heights of the Buildings:

Prohibited Area:

i. **North:**

Only single-storied buildings (G) are present.

ii. **East:**

No buildings are present.

iii. **South:**

The height of buildings/structures ranges from G to G+1. The predominant height in this direction is G.

iv. **West:**

Only single-storied buildings (G) are present.

Regulated Area:

i. **North:**

The height of buildings/structures ranges from G to G+1 with predominantly single stories buildings.

ii. **East:**

No buildings are present.

iii. **South:**

Only single-storied buildings (G) are present.

iv. **West:**

Only single-storied buildings (G) are present.

5.2.6 State Protected Monument and listed Heritage Buildings by local Authorities, if available, within the Prohibited/Regulated Area:

There are no State Protected Monument or other listed Heritage Buildings by local Authorities reported as yet within the Prohibited and Regulated Areas of the Protected Monument.

5.2.7 Public amenities:

Public amenities are not available in the Prohibited and Regulated Area, however, parking space, toilets, eateries and drinking water are available at the Protected Monument.

5.2.8 Access to the Protected Monument:

Access to the Protected Monument is provided via a cement concrete road branching from NH-516F, after crossing the bridge constructed over the Godavari River Canal. This approach road leads directly to the designated parking area situated adjacent to the Northern Gopuram, which serves as the principal entrance to the temple complex. An alternate access route is available through a street near the Samalkot Bridge, which connects the Mandavya Narayana Temple to the Western Gopuram of the Protected Monument.

5.2.9 Infrastructure services (water supply, storm water drainage, sewage, solid waste management, parking etc.):

The Prohibited and Regulated Areas have essential infrastructure services.

5.2.10 Proposed zoning of the area as per guidelines of the Local Bodies:

The Prohibited and Regulated Areas are within the limits of the Samalkot Mandal. There are no proposed zoning guidelines of the Local Bodies.

CHAPTER - 6

Architectural, Historical and Archaeological Value of the Protected Monument

6.1 Architectural, Historical and Archaeological Value:

Architectural Value:

Similar in architecture to the Bhimesvara temple in Daksharam, the Bhimesvara temple in Samalkot is a rare surviving structure of the East Chalukyan period. Built in the 9th century, the temple showcases refined construction techniques and stylistic elements of the period. Constructed using a dry masonry system with finely cut ashlar stone blocks, the temple features intricate stone *chajjas*, sculpted pillars and elaborate Nataraja panels. Unique features of the temple include the double-storied inner *prakara* with colonnades on both levels and the 14-foot-tall linga, which passes through the upper roof and enters the second floor where Rudra Bhaga is worshipped.

Historical Value:

The Bhimesvara Temple at Samalkot, holds significant historical value as one of the sacred Pancharama Kshetrams, an important Shaivite pilgrimage circuit in Andhra Pradesh. It's association with regional mythology, particularly the legend of Lord Shiva and Tarakasura, underscores its deep spiritual significance. The temple stands as a testament to the Eastern Chalukyas' role in shaping the religious and cultural identity of the region. Strategically located in the fertile Godavari delta, Samalkot emerged as an important religious and administrative centre during its rule. The temple also offers critical insights into early medieval temple construction, regional architectural styles, and the broader historical development of temple traditions.

Archaeological Value:

The archaeological value is attributed to the temple being more than 1000 years old and about 30 inscriptions on the temple from the medieval period, dating between 1147 CE and 1494 CE. Some of these inscriptions document the construction of significant architectural elements of the temple, like the Mukha Mandapam in the East being built in 1394 CE while the Srimukhamandapam in 1422 CE.

6.2 Sensitivity of the Protected Monument (e.g. developmental pressure, urbanization, population pressure, etc.):

The Protected Monument is presently situated amidst agricultural fields, which are increasingly vulnerable to land-use conversion due to mounting developmental pressures. A substantial parcel of land located to the East of the Protected Monument, previously under cultivation, is currently being developed for residential construction. It is anticipated that similar patterns of development may extend to other parts of the Regulated Area in the near future, thereby compromising the pristine natural setting of the Chalukyan-era temple complex.

A bypass road connecting the ADB (Asian Development Bank) Road and NH-516F is under construction at a distance of approximately one kilometre to the South of the Bhimesvara Temple. In addition, a new connecting road has been proposed between the temple and this bypass. While such interventions may enhance accessibility, they also present a significant risk to the integrity of the temple's historic setting. The

proposed road is likely to attract commercial development along its alignment, resulting in adverse visual and spatial impacts on the Protected Monument.

6.3 Visibility from the Protected Monument or Area and visibility from the Regulated Area:

Visibility from the Protected Monument:

From the main entrance gate of the temple (Northern Gopuram), the outward view comprises an unpaved parking area and a few temporary shops located towards the North-West. Towards the North-East, landscaped parks and a public convenience facility are visible. From the walkway surrounding the stepped water tank, expansive agricultural fields bordered by palm trees define the setting. The view from the Western Gopuram includes the rooftops of vernacular houses, trees lining the secondary access street and an overhead water tank.

Visibility from the Regulated Area:

The *vimana* of the temple is prominently visible from the Western, Northern, and Eastern sectors of both the Prohibited Area and the Regulated Area, particularly from the access roads and pathways.

6.4 Land-use:

No Master Plan, Development Plan or Land-Use Plan has been prepared by the Local Authorities as yet. However, based on the primary survey, the current land-use in the Prohibited and Regulated Area is predominantly agricultural.

6.5 Archaeological heritage remains other than the Protected Monument:

There are no known or reported archaeological heritage remains in the Prohibited and Regulated Area to date, other than the Protected Monument. However, the site may have archaeological remains buried in the layers of earth, which may be subject to further research and excavations.

6.6 Cultural landscapes:

The Protected Monument is situated within a significant cultural landscape that integrates religious, architectural and ecological elements, reflecting the rich heritage of Andhra Pradesh. This 1,000-year-old living stone temple is set amidst water bodies and verdant surroundings, with agricultural fields and palm groves contributing to its serene ambience. It represents one of the few surviving examples of such integrated cultural landscapes. The temple continues to function as a vibrant place of worship, with daily rituals and a continuous flow of thousands of devotees, thereby preserving its enduring spiritual and cultural significance.

6.7 Significant natural landscapes that form part of cultural landscape and also help in protecting the Protected Monument from environmental pollution:

The extensive agricultural fields and plantation areas surrounding the Protected Monument contribute to its pristine natural setting while serving as a natural buffer against environmental pollution. In addition, the stepped water tank and adjoining pond further enhance the natural landscape around the Protected Monument.

6.8 Usage of open space and constructions:

Open spaces are mostly used for cultivation and storage. Most of the buildings in the Prohibited and Regulated Area are used for residential purposes except for some small shrines.

6.9 Traditional, Historical and Cultural Activities:

The Bhimesvara Temple is one of the five "Pancharama Kshetras", a group of five sacred Shiva temples in Andhra Pradesh that hold immense spiritual significance. The *Shivalinga* enshrined within the temple is traditionally believed to have been consecrated by Lord Kumara Swamy (Lord Kartikeya), the son of Lord Shiva. Owing to this association, the temple continues to receive thousands of devotees from across the region and functions as a vibrant centre of religious activity, particularly during major festivals.

Among the most significant observances is Maha Shivaratri, celebrated with great devotion through special rituals, *abhisheka*, and night-long vigils. Another important festival is the Kalyana Mahotsavam, which commemorates the divine wedding of Lord Bhimesvara with Goddess Bala Tripurasundari through elaborate ceremonies. During Sarannavarathri (Navaratri), the temple becomes a focal point for daily rituals, cultural programmes and processions. The sacred month of Karthika Masam is also observed with reverence, as devotees light oil lamps and engage in daily worship. The stepped water tank adjoining the temple is regarded as holy and is used for ritual ablutions. Furthermore, the cremation ground situated to the South of the temple is believed to be equivalent in sanctity to Kashi, and funerary rites performed here are considered to grant salvation.

6.10 Skyline as visible from the Protected Monument and from the Regulated Areas:

Skyline as visible from the Protected Monument:

Skyline is dominated by trees in all directions when seen from the Protected Monument.

Skyline as visible from the Regulated Areas:

The Protected Monument dominates the skyline when seen from the access roads, parking spaces and agricultural fields on the Eastern side.

6.11 Traditional Architecture:

Several vernacular houses are located in the vicinity of the Protected Monument. These are predominantly single-storied structures constructed in rubble stone masonry or brick masonry with mud mortar. The roofing systems comprise either thatch coverings or Mangalore tiles, supported on timber beams and trusses. Refer **Annexure-IV**.

6.12 Developmental plan as available by the local authorities:

There are no proposed or existing Development Plans or Zoning regulations available for Samalkot Mandal.

6.13 Permissible Building related Parameters:

6.13.1 Repair and Renovation (in Prohibited and Regulated Area):

Internal changes and adaptive reuse may be generally permitted. However, external changes shall be subject to detailed scrutiny by the Competent Authority. Such changes, which include retrofitting/renovation, may be permitted when the building is structurally weak or unsafe or when it has been adversely impacted by any natural calamity, and renovation is absolutely necessary. Original building vocabulary and layout, along with built-open relationships, are to be adhered to. General repair and upkeep of buildings will be permissible, subject to prior permission from the Competent Authority.

The repair and renovation in buildings/structures should be sympathetic and congruous with the heritage character of the Protected Monument and its surrounding areas. New cladding materials like Aluminium Composite Panels (ACP), High-Pressure Laminates (HPL), laminates, tiling or glazing are to be discouraged as far as feasible. The use of locally available building materials should be encouraged in carrying out repair and renovation works.

6.13.2 Reconstruction:

Reconstruction is defined in Section 2(k) of Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (AMASR) Act, 1958, as amended. Permission for reconstruction in Regulated Area is accorded as per Section 20C(2) of the AMASR Act, 1958, as amended, and Rule 6 (IV) and Rule 7 AMASR (Framing of heritage Bye-laws and other functions of the Competent Authority) Rules, 2011. In case of any type of building or structure located in the Prohibited or Regulated Area of the Protected Monument or Protected Area, collapsed or damaged and found beyond repair due to natural calamities, the permission for reconstruction is accorded as per Rule 16 of AMASR (Framing of Heritage Bye-Laws and other functions of the Competent Authority) Rules, 2011. Reconstruction of building or structure damaged due to natural calamity shall be permissible only to the extent it is damaged. The new structure or building as a replacement to the older building in case of reconstruction shall follow the same horizontal and vertical limits as per the pre-existing structure. The use of incongruous materials in the façade such as glazing, metal cladding, Aluminium Composite Panels (ACP), High Pressure Laminates (HPL), tiles, laminates will not be permissible. The new structure should be sympathetic and congruous with the heritage character of the Protected Monuments and its surrounding area.

6.13.3 New Construction:

6.13.3 A Prohibited Area:

In general terms, as per Section 20A (4) of AMASR Act, 1958, as amended, no new construction including carrying out of any public work or project essential to the public or other construction, shall be permitted within the Prohibited Area of the Protected Monument.

6.13.3 B Regulated Area:

Since no land-use plan/ master plan/ zoning regulations have been prepared by the local Authorities, the height and other building-related parameters prescribed in this Heritage Bye-Laws will be applicable for all types of construction in the Regulated Area of the Protected Monument.

1. **Height of the new construction on the site (including mumty, parapet, water storage tank, machine room, HVAC unit, solar panel, rainwater harvesting system, penthouse, structures of terrace garden, etc. or any other services on the roof):**

   i. The maximum height limit for new construction or additions/alterations to existing buildings shall not exceed **4.50 metres** (including gable roof, mumty, parapet, water storage tank, machine room, generator room, HVAC unit, solar panel, rainwater harvesting system, penthouse, structures of terrace garden, etc. or any other services on the roof).

   ii. Construction of the basement to be discouraged as far as feasible.

2. **Usage:**

   i. The existing agricultural character of the area should be maintained to retain the Protected Monument's historic setting. No new development zones in the Regulated Area of the Protected Monument should be proposed as far as possible.

   ii. In the Regulated Area of the Protected Monument, only constructions that fall under specific exemptions are permissible on the existing agricultural land-use. These permissible constructions on agricultural land include agro-related constructions, constructions like dwellings and ancillary buildings for the people engaged in the farms, like those used for storage of crops, fodder, manure, agricultural tools and other similar activities.

   iii. Any conversion of land within the Prohibited Area and Regulated Area of a Protected Monument or Protected Area should be done after prior consultation with the National Monuments Authority.

   iv. Land pooling shall not be allowed to discourage construction of high-rise buildings, group housing, large-scale industries or commercial complexes.

3. **Façade design:**

   i. Vernacular architecture using traditional local building materials should be encouraged in exempted constructions. Use of traditional architectural elements should be incorporated in the building façade. Style and proportion of the architectural elements found in the vernacular houses should be followed as far as possible.

   ii. The façade design of new construction should be minimalistic in nature, so that it does not overpower the monument and the overall heritage character of the surrounding area.

iii. The façade design should be subtle, plastered and painted in earthy colours (white, grey, beige, brown, etc.).

iv. Use of intrusive materials such as Aluminium Composite Panel (ACP), High Pressure Laminates (HPL) and any other synthetic material for exterior finishes on the exterior façade should be discouraged.

v. Use of coloured glazed façade should be discouraged.

vi. Informal extensions of shops and residences are to be restricted for all the buildings located within the Regulated Area.

vii. Plumbing and electrical services should be organised and not on the exterior of the building.

4. Roof design:

i. Use of a traditional sloping roof system with thatch and terracotta roof tiles/ Mangalore roof tiles should be encouraged.

ii. Erection of structures, even of a temporary nature, using materials such as aluminium, fibreglass, polycarbonate, or similar materials, should be discouraged on the roof of the building.

iii. All services such as large air conditioning units, rooftop water storage tanks or large generator sets placed on the roof to be screened off using screen walls (brick/cement sheets, louvres, jaalis or other such design elements). All of these services should be included in the maximum permissible height.

5. Building materials:

i. Consistency in building materials and colour along all street façades of the Protected Monument should be maintained.

ii. Modern building materials such as aluminium cladding, glass bricks and any other synthetic tiles or materials should be discouraged for exterior finishes.

iii. Use of traditional building materials like laterite stone, clay/mud bricks, Mangalore tiles and timber should be encouraged. Modern building materials may be used for construction, provided that the traditional architectural vocabulary of the region is followed.

6. Colour:

The exterior colour should be of a neutral tone in harmony with the Protected Monument such as buff sandstone colour, white, beige and other earthy colours which do not create a harsh contrast with the Protected Monument and its immediate surroundings.

7. Other Regulations:

Proposals for the construction of large-scale public infrastructure projects such as Metro Rail Systems (underground or elevated), rail or road over bridges, flyovers, multi-level parking facilities, or similar development projects and construction of institutional buildings in public interest or which are essential for public, shall be subject to a detailed Heritage Impact Assessment (HIA) report. Such projects may be considered only if it is clearly established that they will not cause any significant adverse impact on the preservation, safety, security, visual integrity or accessibility of the Protected Monument or its immediate surroundings.

6.14 Visitors facilities and amenities:

Visitor facilities and amenities should be considered as far as feasible.

CHAPTER - 7

Site Specific Recommendations

7.1 Site Specific Recommendations:

i. Commercial activities other than tourist amenities to be discouraged in the Prohibited and Regulated Areas as far as feasible.

ii. Guidelines may be formulated for the effective management of the temple parking area.

iii. The local administration to encourage plantation of more trees as well as retention of existing ones.

iv. The water bodies within the Prohibited and Regulated Areas of the Protected Monument should be preserved.

v. The local administration should take proactive measures to prevent encroachments and unplanned development in the vicinity of the Protected Monument.

vi. Telephone exchanges, mobile towers, electricity transmission towers, chimneys and overhead water tanks within the Regulated Area should be discouraged, and their location beyond the Regulated Area may be considered.

vii. LED or digital signs, plastic fiber glass or any other highly reflective synthetic material should not be used for signages in the vicinity of the Protected Monument or its immediate surrounding areas.

viii. No advertisements in the form of hoardings, bill-boards and posters should be permitted near the Protected Monument, especially on the boundaries of the Protected Monument.

ix. Use of Eco-Friendly vehicles for movement in the vicinity of the Protected Monument may be encouraged to mitigate adverse impact on the Protected Monument due to vehicular emissions and vibrations.

7.2 Other Recommendations:

i. Whenever the Master Plan, Zonal Plan or Development Plan is prepared or amended, it should clearly show all Protected Monuments of national importance and the Prohibited and Regulated.

ii. Provisions for differently-abled persons should be provided as per prescribed standards, as far as feasible.

iii. The area should be declared as Plastic and Polythene free zone.

iv. National Disaster Management Guidelines for Cultural Heritage Sites and Precincts may be referred at https://nidm.gov.in/PDF/pubs/NDMA/20.pdf.

अनुलग्नक
ANNEXURES

अनुलग्नक-I
ANNEXURE-I

सर्वेक्षण भूखंड संख्या 192 के भाग में शामिल आसन्न भूमि सहित भीमेश्वर मंदिर, समालकोट-भीमावरम (अब समालकोट), ज़िला-ईस्ट गोदावरी (अब काकीनाडा), आंध्र प्रदेश की सर्वेक्षण योजना
Survey Plan of Bhimesvara temple together with adjacent land comprised in part of survey plot No. 192, Samalkot-Bhimavaram (now Samalkot), District-East Godavari (now Kakinada), Andhra Pradesh

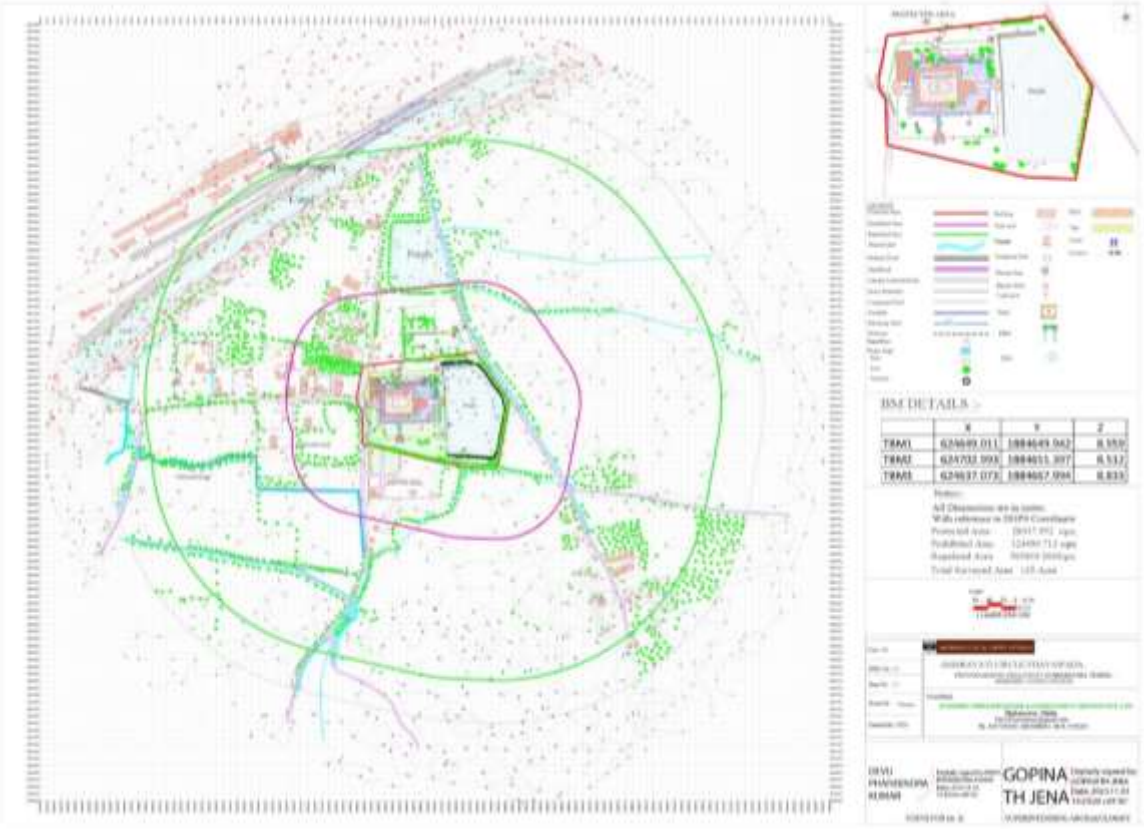

अनुलग्नक-II
ANNEXURE-II

संरक्षित संस्मारक की अधिसूचना

Notification of the Protected Monument

REGISTERED No. D. 228

The Gazette of India

PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 19] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 9, 1964/VAISAKHA 19, 1886

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

NOTICE

The undermentioned Gazettes of India Extraordinary were published upto the 28th April, 1964:—

Issue No.	No. and Date	Issued by	Subject
112	S.O. 1423, dated 22nd April, 1964.	Ministry of Finance.	Order of moratorium in respect of the Southern Bank Ltd., Calcutta.
113	S.O. 1424, dated 24th April, 1964.	Do.	Exempting persons from the requirement to payment on or before 31st March, 1964 of the deposit referred to in the Compulsory Deposit Scheme Act, 1963 and the Compulsory Deposit (Income-tax Payers) Scheme 1963, under condition that such deposit is made before 30th June, 1964.
114	S.O. 1425, dated 27th April, 1964.	Do.	Appointing Shri M. A. Rangaswamy, Collector of Customs, Bombay, also to act as such in Goa.
115	S.O. 1514, dated 28th April, 1964.	Ministry of Information and Broadcasting.	Approval of the films specified therein.

Copies of the Gazettes Extraordinary mentioned above will be supplied on indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

(1745)

MINISTRY OF EDUCATION

(Department of Education)

(ARCHAEOLOGY)

New Delhi, the 28th April 1964

S.O. 1535.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Education No. F. 4-27/63-Cl dated the 6th January, 1964 published in Part II, section 3 sub-section (ii) of the Gazette of India dated the 11th January, 1964, the Central Government gave notice of its intention to declare the archaeological monument specified in the Schedule below to be of national importance.

And, whereas, no objections have been received to the making of such declaration.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 4 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958), the Central Government hereby declares the said archaeological monument to be of national importance.

SCHEDULE

Sl. No.	State	District	Tehsil	Locality	Name of monument	Revenue plot number to be included under protection	Area	Boundaries	Ownership	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Andhra Pradesh	East Godavari	Kakinada	Samalkot-Bhimavaram	Bhimesvara temple together with adjacent land comprised in part of survey plot No. 192.	Part of survey plot No. 192 as shown in the plan reproduced below.	6·92 Acres	North.—Remaining portion of survey plot No. 192—Coconut garden. East:—Survey plot Nos. 188, 189 and 190. South:—Survey plot No. 187 and remaining portion of survey plot No. 192-Coconut garden. West:—Survey plot Nos. 193, 205 and 214.	Government.	The temple is under religious use.

मूल अधिसूचना की टंकित प्रति
Typed copy of Original Notification

Sec. 8(ii) THE GAZETTE OF INDIA : May 9, 1964/VAISAKHA 19, 1886 1791

MINISTRY OF EDUCATION
(Department of Education)

(ARCHAEOLOGY)

New Delhi, the 28th April 1964

S.O. 1535.- Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Education No. F. 4-27/ 63-Cl dated the 6th January, 1964 published in Part II, section, 3 sub-section (ii) of the Gazette of India dated the 11th January, 1964, the Central Government gave notice of its intention to declare the archaeological monument specified in the Schedule below to be of national importance.

And, whereas, no objections have been received to the making of such declaration.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 4 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958), the Central Government hereby declares the said archaeological monument to be of national importance.

SCHEDULE

Sl. No.	State	District	Tehsil	Locality	Name of Monument
1	2	3	4	5	6
1.	Andhra Pradesh	East Godavari	Kakinada	Samalkot Bhimavaram	Bhimesvara temple together with adjacent land comprised in part of survey plot No. 192.

Revenue plot number to be included under protection	Area	Boundaries	Ownership	Remarks
7	8	9	10	11
Part of survey plot No. 192 as shown in the plan reproduced below.	6-92 Acres	North.-Remaining position of survey plot No. 192-Coconut garden. East:-Survey plot Nos. 188, 189 and 190. South:-Survey plot No. 187 and remaining portion of survey plot No. 192 Coconut garden. West:-Survey plot Nos. 193, 205 and 214.	Government.	The temple is under religious use.

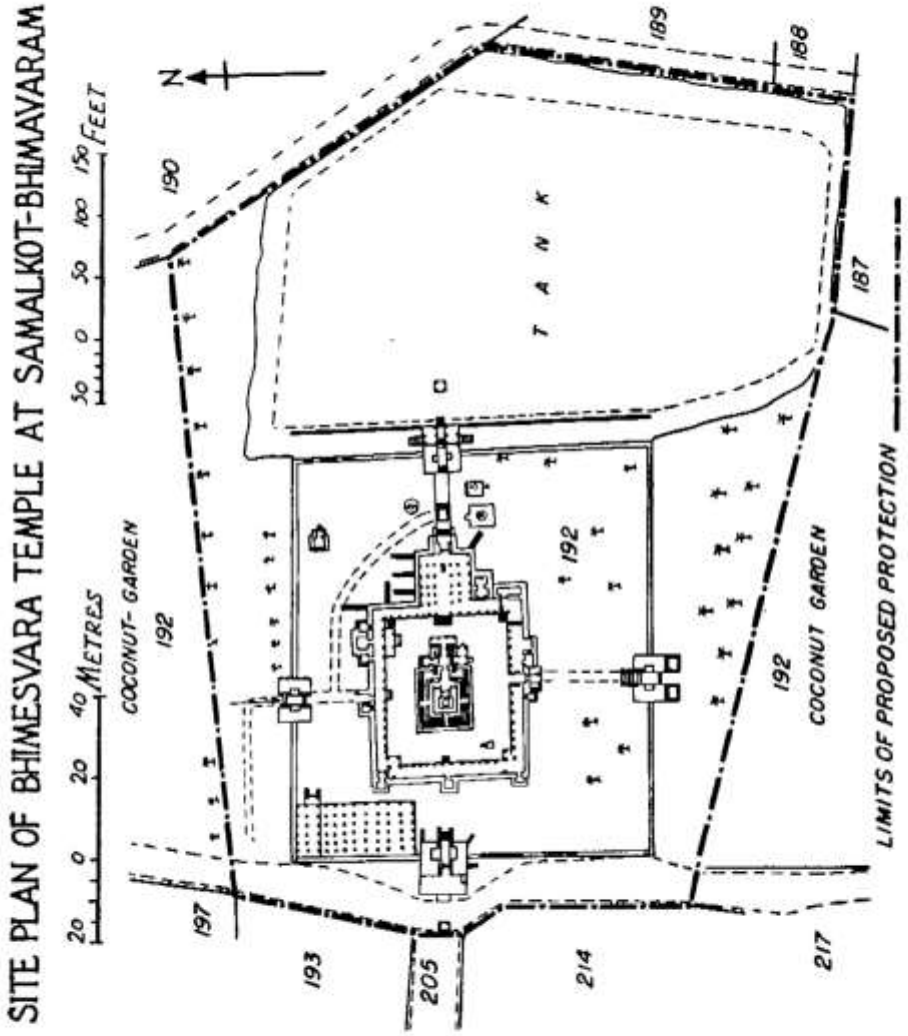
SITE PLAN OF BHIMESVARA TEMPLE AT SAMALKOT-BHIMAVARAM
20 0 20 40 METRES
50 0 50 100 150 FEET
N
189
188
190
TANK
187
192
COCONUT- GARDEN
192
COCONUT GARDEN
LIMITS OF PROPOSED PROTECTION
197
193
205
214
217

[No. F. 4-27/63-CL]

अनुलग्नक-III
ANNEXURE-III

अभिलिखीय मानचित्र
Archival Map

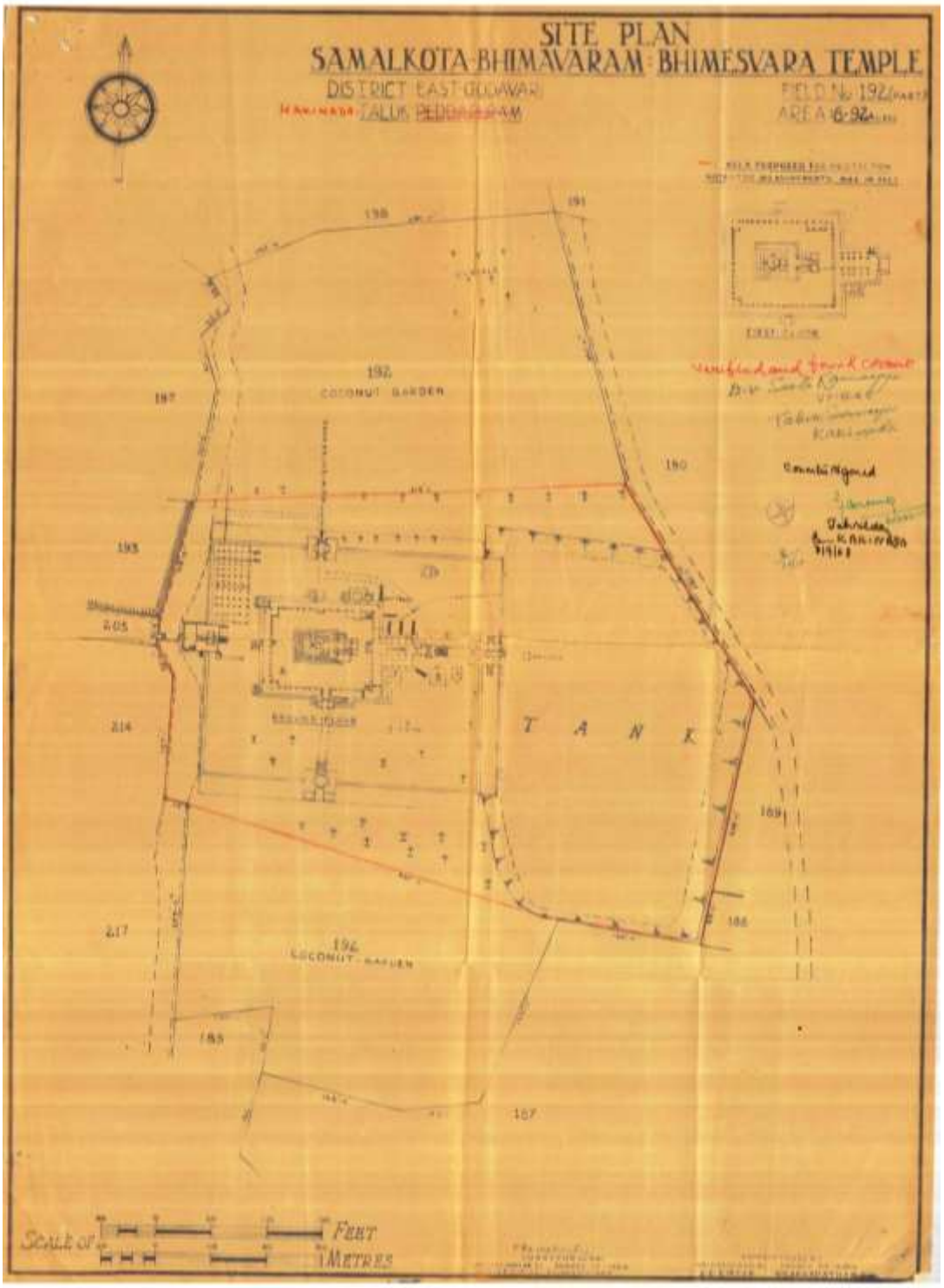

अनुलग्नक-IV
ANNEXURE-IV

संरक्षित संस्मारक और उसके आसपास के क्षेत्रों के चित्र
Images of the Protected Monument and its surrounding areas

चित्र 1: संरक्षित संस्मारक का हवाई दृश्य (स्रोत: एएसआई)।
Image 1: Aerial View of the Protected Monument (Source: ASI).

चित्र 2: मंदिर परिसर का पश्चिमी प्रवेश द्वार।
Image 2: Western gateway of the temple complex.

चित्र 3: उत्तर दिशा से मंदिर परिसर का मुख्य प्रवेश द्वार।
Image 3: Main entrance gateway of the temple complex from North.

चित्र 4: प्रांगण से मंदिर का दृश्य।
Image 4: View of the temple from the courtyard.

चित्र 5 मंदिर का दृश्य।
Image 5: View of the temple.

चित्र 6: भीतरी बाड़े की दीवार का दृश्य।
Image 6: View of the inner enclosure wall.

चित्र 7: मंदिर में मूर्तियां और देवता।
Image 7: Sculptures and deities in the temple.

चित्र 8: मंदिर का उत्तरी अग्रभाग।
Image 8: Northern façade of the temple.

चित्र 9: उत्तर दिशा में पार्किंग की जगह।
Image 9: Parking space towards North.

चित्र 10: उत्तर-पश्चिम की ओर रेस्टोरेंट और पार्किंग।
Image 10: Restaurant and parking towards North-West.

चित्र 11: उत्तर की ओर समालकोट रेलवे स्टेशन।
Image 11: Samalkot Railway Station towards North.

चित्र 12: दक्षिण में श्मशान घाट का प्रवेश द्वार।
Image 12: Entrance to the cremation ground in the South.

चित्र 13: संरक्षित संस्मारक का अखंड स्तंभ और पश्चिमी *गोपुरम* ।
Image 13: Monolithic pillar and Western *gopuram* of the Protected Monument.

चित्र 14: पूर्व में पुष्करिणी या मंदिर का तालाब ।
Image 14: Pushkarini or temple tank on the East.

चित्र 15: पश्चिमी तरफ सड़क से संरक्षित संस्मारक का दृश्य।
Image 15: View of the Protected Monument from the road on the Western side.

चित्र 16: संरक्षित संस्मारक से पश्चिम की ओर का दृश्य।
Image 16: View from the Protected Monument towards West.

चित्र 17: पश्चिम की ओर सड़क और स्थानीय घर।
Image 17: Street and vernacular house towards West.

चित्र 18: श्मशान घाट में एक दो मंजिला इमारत।
Image 18: A double storey building in the cremation ground.